

[2023] 10 एस सी आर 533:2023 आईएनएससी 616

क.

डॉ. जया ठाकुर बनाम

भारत संघ व अन्य

(2022 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 456) 11 जुलाई, 2023

[बी. आर. गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल, जे. जे.]

सेवा कानून-केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 -एस. 25 (डी)-दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 - धारा 4 ख (1)-मौलिक नियम, 1922-सी. बी. आई. निदेशक/प्रवर्तन निदेशक के कार्यालय में कार्यरत अधिकारी-कार्यकाल का विस्तार-केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 की वैधता (जिसके तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 में दो नए प्रावधान जोड़े गए थे। 25((घ) केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम), दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2021 (जिसके तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में दो नए प्रावधान जोड़े गए थे। 4 दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 का बी (1) और मौलिक (संशोधन) नियम, 2021 (जिसके द्वारा एफ. आर. 56 (डी) के पांचवें परंतुक को एक नए परंतुक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था)-को चुनौती-आयोजित: यह तर्क कि विवादित संशोधन सरकार को ईडी/सी. बी. आई. के निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए मनमाने ढंग से शक्ति प्रदान करते हैं और बाहरी दबावों से इन कार्यालयों के संरक्षण को समाप्त करने का प्रभाव डालते हैं, मान्य नहीं है-यह सरकार की इच्छा पर नहीं है कि सी. बी. आई. के निदेशक/प्रवर्तन निदेशक के कार्यालय में मौजूदा अधिकारियों को विस्तार दिया जा सकता है-विनीत नारायण के मामले में इस न्यायालय द्वारा जो निर्देश दिया गया है और याचिकाकर्ताओं द्वारा बाद के फैसलों पर भरोसा किया गया है, वह यह है कि ऐसे निदेशक का न्यूनतम कार्यकाल उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के बावजूद दो साल का होना चाहिए-विवादित संशोधनों द्वारा, उक्त अवधि के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है-जो किया गया है वह केवल एक कदम है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

533

534 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

लोक हित में दिया जाना है या नहीं-केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2021 और मौलिक (संशोधन) नियम, 2021 की वैधता को चुनौती देना मान्य नहीं है।

मैंडमस-अधिनियमन द्वारा निरस्तीकरण-विधायी ओवरराइड का मुद्दा-विधायिका द्वारा न्यायिक शक्ति में घुसपैठ-सी. बी. आई. निदेशक/प्रवर्तन निदेशक के कार्यालय में अधिकारी-कार्यकाल का विस्तार-चाहे 17 नवंबर, 2021 और 17 नवंबर, 2022 के विवादित आदेश, जिन्होंने प्रतिवादी नं.2-प्रत्येक वर्ष की अवधि के लिए प्रवर्तन निदेशक, सामान्य कारण (2021) के पहले के मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी विशिष्ट आदेश के आलोक में मान्य नहीं थे कि प्रतिवादी नं.2 - आयोजित किया गया: इस न्यायालय के निर्णयों के प्रभाव को निर्णय के आधार को हटाकर विधायी अधिनियम द्वारा रद्द किया जा सकता है-ऐसा कानून

पूर्वव्यापी हो सकता है-हालांकि, पूर्वव्यापी संशोधन उचित होना चाहिए और मनमाना नहीं होना चाहिए और संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए-दोष को इस तरह से ठीक किया जाना चाहिए कि दोष को इंगित करने वाले निर्णय का आधार हटा दिया जाए-एक अधिनियम द्वारा परमादेश को समाप्त करना, हालांकि, अस्वीकार्य विधायी अभ्यास होगा-संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन और विधायिका द्वारा न्यायिक शक्ति में घुसपैठ शक्तियों के पृथक्करण, कानून के शासन और संविधान के Art.14 के सिद्धांत का उल्लंघन है-सामान्य कारण (2021) के मामले में, इस न्यायालय ने विशेष रूप से एक आदेश जारी किया था 2 - भारत संघ और प्रत्यर्थी संख्या 2 सामान्य कारण (2021) में इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में दोनों पक्ष थे-पक्षकारों को जारी किया गया आदेश उनके लिए बाध्यकारी था-इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 1 इस न्यायालय द्वारा सामान्य कारण (2021) में जारी किए गए आदेश का उल्लंघन करते हुए 17 नवंबर 2021 और 17 नवंबर 2022 (प्रत्येक वर्ष के लिए प्रत्यर्थी संख्या 2 के कार्यकाल को बढ़ाने) के आदेश जारी नहीं कर सकता था-17 नवंबर 2021 और 17 नवंबर 2022 के विवादित आदेश तदनुसार अवैध हैं-हालांकि, तथ्यों पर, व्यापक सार्वजनिक हित में, प्रत्यर्थी संख्या 2 को 31 जुलाई, 2023 तक पद पर बने रहने की अनुमति दी गई-भारत का संविधान-अनुच्छेद 14-सेवा कानून। न्यायिक समीक्षा-विधानमंडल के विधायी कार्यों की जांच करने का दायरा-न्यायपालिका की भूमिका-आयोजित:न्यायिक समीक्षा ए है

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

535

डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत और हमारा संघ।

विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्ति के असंवैधानिक प्रयोग को रोकने के लिए एक शक्तिशाली हथियार-न्यायालय की भूमिका इस बात की जांच करने तक सीमित है कि क्या विधायिका या कार्यपालिका ने संविधान के तहत सौंपी गई शक्तियों और कार्यों के भीतर काम किया है-हालांकि, ऐसा करते समय, न्यायालय को अपनी स्व-निर्धारित सीमाओं के भीतर रहना चाहिए।

न्यायिक समीक्षा-विधायी अधिनियमन का दायरा-आयोजित:संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून को हल्के में असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है-जब तक कि संवैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन नहीं होता है, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को खराब घोषित नहीं किया जा सकता है-विधायी अधिनियम को केवल दो आधारों पर निरस्त किया जा सकता है-पहला, कि उपयुक्त विधानमंडल के पास कानून बनाने की क्षमता नहीं है; और दूसरा, कि यह संविधान के भाग III या किसी अन्य संवैधानिक प्रावधानों में गिने गए किसी भी मौलिक अधिकार को छीनता है या कम करता है-किसी भी अधिनियम को केवल यह कहकर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि यह मनमाना या अनुचित है-किसी अधिनियम को अमान्य करने से पहले कुछ या अन्य संवैधानिक दुर्बलता को पाया जाना चाहिए-संसद और विधानसभाएं, जो जनता के प्रतिनिधियों की हैं, वे हैं।

ग

डी.

ई.

मेसर्स किशन लाल लखमी चंद और अन्य बनाम राज्य

हरियाणा और अन्य 1993 पूरक (4) एस. सी. सी. 461:[1993] 1 पूरक।एस. सी. आर. 433-लागू नहीं होता है।

आसिफ हमीद और अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य

च

और अन्य 1989 पूरक (2) एस. सी. सी. 364:[1989] 3 एससीआर 19;

कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, पुनः **1993** सप्लीमेंट **(1)**

एससीसी 96:[1991] 2 पूरक।एससीआर 497; एस. आर. भागवत और अन्य बनाम मैसूर राज्य (1995) 6 एससीसी 16:[1995] 3

पूरक।एस. सी. आर. **545**; भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम राज्य

केरल और अन्य, (2019) 13 एस. सी. सी. 185; मद्रास बार

जी.

एसोसिएशन बनाम भारत संघ और दूसरा **(2022) 12** एस. सी. सी. **455** और बिनॉय विश्वम बनाम भारत संघ और अन्य

(2017) 7 एससीसी **59**:[**2017**] **7** एस. सी. आर. **1**-पर निर्भर।

कॉमन कॉज (ए रजिस्टर्ड सोसाइटी) बनाम भारत संघ

& ओआरएस। 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 687; विनीत नारायण और

एच.

536 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

क.

अन्य बनाम भारत संघ और दूसरा **(1998) 1** एस. सी. सी.

226 :[1997] 6 पूरक।एस. सी. आर. 595; प्रकाश सिंह और

अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (प्रकाश सिंह-1)

(2006) 8 एससीसी 1:[2006] 6 पूरक।एस. सी. आर. 473; प्रकाश

सिंह और अन्य बनाम भारत संघ (प्रकाश सिंह-2) **(2019) 4** एस. सी. सी. **14**; प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (प्रकाश सिंह-3) **(2019) 4** एस. सी. सी. **1**; बेघर फाउंडेशन अपने सचिव के माध्यम से और एक अन्य बनाम न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य **(2021) 3** एस. सी. सी. **1**; मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ

और दूसरा (2014) 10 एस. सी. सी. 1:[2014] 10 एस. सी. आर. 1; रोजर

मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड का प्रतिनिधित्व इसके मुख्य प्रबंधक और अन्य **(2020) 6** एस. सी. सी. **1**: **[2019] 16** एससीआर **1**; वी. शशिधरन और ओआरएस बनामकी सरकार

ग

तमिलनाडु और ओआरएस। 1995 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 592; श्री

पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड और एक अन्य बनाम ब्रोच बरो

नगरपालिका और अन्य (1969) 2 एस. सी. सी. 283:[1970] 1

डी.

एससीआर **388**; भक्तावर ट्रस्ट और अन्य बनाम एम. डी. नारायण

और अन्य (2003) 5 एससीसी 298:[2003] 1 पूरक।एससीआर 1;

भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी और अन्य बनाम केरल राज्य और

अन्य (1996) 7 एस. सी. सी. 637:[1996] 2 एससीआर 23; गोवा

फाउंडेशन और एक अन्य बनाम गोवा राज्य और एक अन्य

(2016) 6 एससीसी 602:[2016] 1 एससीआर 1025; के. एस.

ई.

पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) और एक अन्य (आधार) बनाम संघ

भारत और एक अन्य (2019) 1 एस. सी. सी. 1:[2018] 8 एससीआर

1; वेलफेयर एसोसिएशन, ए. आर. पी., महाराष्ट्र और एक अन्य बनाम रंजीत पी. गोहिल और अन्य **(2003) 9 एस. सी. सी. 358:[2003] 2 एस. सी. आर. 139**; अनूप बरनवाल बनाम यूनियन ऑफ

च

भारत 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 216 और मदन मोहन

पाठक और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य **(1978)**

2 एससीसी 50:[1978] 3 एस. सी. आर. 334-संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

(2022) 12 एससीसी 455

पर भरोसा किया

पैरा **20 [1997] 6 पूरक।एस. सी. आर. 595 पैरा 21 [2006] 6 सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।पैरा 21 (2019) 4 एस. सी. सी. 14 में निर्दिष्ट एस. सी. आर. 473**

जी.

संदर्भित किया गया है

पैरा **21**

(2019) 4 एससीसी 1

संदर्भित किया गया है

पैरा **21 ए**

एच.

537

डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत और हमारा संघ।

(2021) 3 एससीसी 1

संदर्भित किया गया है

पैरा **24**

[2014] 10 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा **27**

[2019] 16 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा **28**

[1970] 1 एससीआर 388

संदर्भित किया गया है

पैरा **30**

[2003] 1 पूरक।एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा **30**

[1991] 2 पूरक।एस. सी. आर. 497 पर निर्भर

पैरा **30**

[1996] 2 एससीआर 23

संदर्भित किया गया है

पैरा **40**

[2016] 1 एससीआर 1025

संदर्भित किया गया है

पैरा **40**

संदर्भित किया गया है

पैरा **40**

[2018] 8 एससीआर 1

ग

[1993] 1 पूरक।एस. सी. आर. 433 अभिनिर्धारित अप्रयोज्य पैरा 44 [2003] 2 एस. सी. आर. 139 पैरा 44

[1989] 3 एस. सी. आर. 19

पर भरोसा किया

पैरा 67

[2017] 7 एससीआर 1

पर भरोसा किया

पैरा 69

डी.

[1978] 3 एससीआर 334

संदर्भित किया गया है

पैरा 104

[1995] 3 पूरक।एससीआर 545 पर भरोसा किया गया

पैरा 110

(2019) 13 एससीसी 185

पर भरोसा किया

पैरा 112

सिविल मूल अधिकारिता 2022 की लिखित याचिका (सिविल) No.456।

ई.

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

लिखित याचिका (सिविल) 2021 की 1274,1272,1307,1330,2022 की 14,274,786, एम. ए.2020 की लिखित याचिका (सिविल) No.1374 और 2022 की लिखित याचिका (सिविल) No.1106 में

च

के. वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता, (न्यायमित्र), रवि रघुनाथ,

एड.

तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, सूर्यप्रकाश वी. राजू, ए. एस. जी., गोपाल शंकरनारायणन, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, मुकेश कुमार मरोरिया, उदय खन्ना, मयंक पांडे, जोहेब हुसैन, कानू अग्रवाल, अदित खुराना, अनिरुद्ध भट्ट, अरविंद कुमार शर्मा, श्रुतंजय भारद्वाज, सुश्री तान्या श्रीवास्तव, सुश्री नूपुर कुमार, मुहम्मद अली खान, उमर होदा, अभिषेक जेबराज, सुश्री ईशा बख्शी, सुश्री आशिमा चौहान, उदय भाटिया, सुश्री ए. रेना श्रुति, शशांक

जी.

एच.

538

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

क.

रत्नू, वरुण ठाकुर, ब्रजेश पांडे, वरिंदर कुमार शर्मा, रणधीर कुमार ओझा, प्रशांत भूषण, प्रणव सचदेवा, जे. एस. सिन्हा, विकास मल्होत्रा, ब्रज किशोर मिश्रा, अभिषेक यादव, आकाश कामरा, सुश्री वंशजा शुक्ला, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. रिट याचिकाओं के इस समूह में प्रत्यर्थी संख्या 2 के कार्यकाल को और बढ़ाने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पारित 17 नवंबर 2021 के आदेश को रद्द करने के लिए एक रिट, आदेश या निर्देश की मांग की गई है। 2022 की रिट याचिका (सिविल) No.1106 में, 17 नवंबर 2022 के आदेश के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 2 को दिए गए एक और विस्तार को भी चुनौती दी गई है। ये सभी याचिकाएं केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2021 और मौलिक (संशोधन) नियम, 2021 की वैधता को भी चुनौती देती हैं।

ग

2. संक्षेप में, वर्तमान रिट याचिकाओं को जन्म देने वाले तथ्य नीचे दिए गए हैं। इसके बाद पक्षों को संदर्भ दिया जाएगा जैसा कि 2022 की रिट याचिका (सिविल) No.456 के कारण-शीर्षक में पाया गया है।

डी.

3. प्रत्यर्थी कुमार मिश्रा को 2022 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 456 में, जो प्रवर्तन निदेशालय (संक्षिप्त में "ईडी") में प्रधान विशेष निदेशक के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें पद का कार्यभार संभालने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 19 नवंबर 2018 के आदेश के अनुसार प्रवर्तन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

ई.

4. 13 नवंबर 2020 के आदेश के माध्यम से, भारत के राष्ट्रपति ने नियुक्ति की अवधि को दो साल से बढ़ाकर तीन साल करके 19 नवंबर 2018 के आदेश में संशोधन को मंजूरी दी। 5. 2020 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 1374 [सामान्य कारण (ए

च

पंजीकृत सोसायटी) बनाम भारत संघ और अन्य। 1] 27 तारीख को दाखिल किया गया था

नवंबर 2020 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित में इस न्यायालय के समक्ष कॉमन कॉज (एक पंजीकृत सोसायटी) द्वारा 13 नवंबर 2020 के आदेश को रद्द करने और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (इसके बाद "सीवीसी अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 25 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति के लिए प्रतिवादी संख्या 1 को परिणामी निर्देश देने का अनुरोध किया गया।

जी.

एच.

1 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 687 ए

539

डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत और हमारा संघ। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

6. हालाँकि इस न्यायालय ने उक्त रिट याचिका (सिविल) नं.

1374 2020 का [सामान्य कारण (एक पंजीकृत समाज) बनाम संघ

भारत और अन्य.] 8 सितंबर 2021 के निर्णय और आदेश के माध्यम से [इसके बाद "सामान्य कारण (2021)" के रूप में संदर्भित], फिर भी निर्देश दिया कि प्रतिवादी संख्या 2 को आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। 7.14 नवंबर 2021 को, चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था, इसलिए भारत के राष्ट्रपति ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 जारी किया, जिससे सीवीसी अधिनियम की धारा 25 (डी) में दो नए प्रावधान जोड़े गए। इसके साथ ही, भारत के राष्ट्रपति ने दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश 2021 भी जारी किया, जिससे दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 (इसके बाद "डी. एस. पी. ई. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 4 बी (1) में दो नए प्रावधान शामिल किए गए।

ग

8. 15 नवंबर 2021 को, मौलिक नियम, 1922 को मौलिक (संशोधन) नियम, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसके तहत एफ. आर. 56 (डी) के पांचवें परंतुक को एक नए परंतुक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

डी.

9. 15 नवंबर 2021 को ही केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में समिति की एक बैठक हुई थी, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 के कार्यकाल के विस्तार के प्रस्ताव पर विचार किया गया था। समिति ने जनहित में प्रवर्तन निदेशक के रूप में प्रतिवादी संख्या 2 का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि यानी 18 नवंबर 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया।

ई.

10. 17 नवंबर 2021 के 2021 के कार्यालय आदेश No.238 के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 2 का कार्यकाल 18 नवंबर 2021 से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए यानी 18 नवंबर 2022 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ा दिया गया था।

च

11. संशोधन अध्यादेशों और/या मौलिक (संशोधन) नियम, 2021 और/या 17 नवंबर 2021 के उक्त कार्यालय आदेश के अधिकारों को चुनौती देते हुए, रिट याचिका (सिविल) संख्या 2021 की 1307, 2021 की 1272, 2021 की 1274, 2021 की 1330 और 2021 की 1271 इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई।

12. 18 दिसंबर 2021 को संसद ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2021 लागू किया।

जी.

13. संशोधन अधिनियमों और/या 17 नवंबर 2021 के कार्यालय आदेश, 2022 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 14 के अधिकारों को चुनौती देते हुए,

एच.

540

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

274 2022 का और 2022 का 456 इस न्यायालय के समक्ष दायर किया गया। कुछ याचिकाओं में डी. एस. पी. ई. अधिनियम में संशोधन को भी चुनौती दी गई है, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो ("सी. बी. आई.") के निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाने का प्रावधान है।

14. कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित 17 नवंबर 2022 के आदेश के अनुसार, उक्त रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी संख्या 2 का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि यानी 18 नवंबर 2022 से 18 नवंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया था। इससे व्यथित होकर, इस न्यायालय के समक्ष 2022 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1106 दायर की गई है।

15. हमने श्री के. वी. विश्वनाथन, विद्वान न्यायमित्र को सुना है। हमने श्री अनूप जी. चौधरी, श्री गोपाल शंकरनारायणन, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री प्रशांत भूषण, श्री जे. एस. सिन्हा और श्री शारंगौड़ा, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील और श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल और श्री एस. वी. राजू, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, प्रतिवादी-भारत संघ की ओर से पेश हुए, और सुश्री वंशजा शुक्ला, 2022 के एम. ए. No.1756 में प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पेश विद्वान वकील को भी सुना है।

ग

डी.

16. श्री अनूप जी. चौधरी, याचिकाकर्ता की ओर से 2022 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 456 और 2022 की रिट याचिका (सिविल) No.1106 में उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि कोई भी कार्रवाई जो 8 सितंबर 2021 के इस न्यायालय के आदेश के प्रभाव को रद्द करती है, कानून में अनुमत नहीं है।

ई.

17. श्री चौधरी आगे प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 भी सामान्य कारण (2021) के मामले में इस न्यायालय के फैसले का एक पक्ष था। वह प्रस्तुत करता है कि, इस प्रकार, इस न्यायालय का निर्देश कि प्रतिवादी संख्या 2 को आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए, उसके साथ-साथ भारत संघ पर भी बाध्यकारी है। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा लिया गया रुख कि जिस आधार पर इस न्यायालय द्वारा निर्देश जारी किया गया था, वह यह था कि संबंधित अधिकारी ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली थी और मौलिक नियमों (जिसे इसके बाद "एफआर" के रूप में संदर्भित किया गया है) में संशोधन के कारण, प्रवर्तन निदेशक के कार्यकाल का विस्तार अनुमेय है और इस तरह, सामान्य कारण (2021) के मामले में इस न्यायालय के फैसले के आधार को एफआर में संशोधन करके हटा दिया जाता है, पूरी तरह से आधारहीन है।

च

जी.

18. श्री गोपाल शंकरनारायणन प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय ने सामान्य कारण (2021) के मामले में फैसले के पैराग्राफ 23 में, ए

एच.

541

डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत और हमारा संघ। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

यद्यपि प्रवर्तन निदेशक के कार्यकाल को दो वर्ष की अवधि से आगे बढ़ाने की भारत संघ की शक्ति को बरकरार रखा है, लेकिन इसने यह स्पष्ट कर दिया है कि सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने वाले अधिकारियों को दिए गए कार्यकाल का विस्तार केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए। वे प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय ने विशेष रूप से कहा है कि सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद प्रवर्तन निदेशक के पद पर रहने वाले व्यक्तियों को दिए गए कार्यकाल का कोई भी विस्तार छोटी अवधि के लिए होना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए इन सभी निर्देशों को भारत के प्रतिवादी No.1-Union द्वारा रद्द कर दिया गया है। वह प्रस्तुत करता है कि हालांकि प्रतिवादी संख्या 2 को शुरू में 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन दिए गए विस्तार के आधार पर, वह 5 साल की अवधि के लिए जारी रहेगा।

19. श्री शंकरनारायणन आगे प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय द्वारा उपयोग किए गए शब्द "चल रही जांच को पूरा करने में सुविधा प्रदान करने के लिए" और "दुर्लभ और असाधारण मामलों में" हैं। हालांकि, उन शब्दों को नजरअंदाज करते हुए, "जनहित" की अस्पष्ट अवधारणा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 को विस्तार दिया जा रहा है।

डी.

20. श्री शंकरनारायणन आगे प्रस्तुत करते हैं कि मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य 2 के मामले में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए, निर्णय के आधार को हटाने के विधायी अधिनियम द्वारा न्यायालय के फैसलों के प्रभाव को रद्द किया जा सकता है। इस तरह का कानून पूर्वव्यापी हो सकता है। हालांकि, पूर्वव्यापी संशोधन उचित होना चाहिए और मनमाना नहीं होना चाहिए और संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि एक अधिनियम द्वारा अधिदेश को रद्द करना भी एक अस्वीकार्य विधायी अभ्यास है। चूंकि एक विशिष्ट आदेश है कि प्रतिवादी संख्या 2 को आगे विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसे आदेश को रद्द करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

ई.

च

21. श्री शंकरनारायणन प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय के मामलों में

विनीत नारायण और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य **3**, प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (प्रकाश सिंह-**1**) **4**, प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ (प्रकाश सिंह-**2**) **5** और प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (प्रकाश सिंह)

जी.

सिंह-**3**) **6** ने लगातार माना है कि उच्च पदस्थ अधिकारियों का कार्यकाल

2 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 463 = (2022) 12 एससीसी 455 3 (1998) 1 एससीसी 226

4 (2006) 8 एससीसी 1 (प्रकाश सिंह-1) 5 (2019) 4 एससीसी 14 (प्रकाश सिंह-2) 6 (2019) 4 एससीसी 1 (प्रकाश सिंह-3)

एच.

542

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

प्रवर्तन निदेशक की तरह, सी. बी. आई. के निदेशक और पुलिस महानिदेशक को दो साल की एक निश्चित अवधि के लिए होना चाहिए ताकि ऐसे अधिकारी को बाहरी दबावों से बचाया जा सके और उसे स्वतंत्र रूप से और स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम बनाया जा सके। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वही प्रावधान जो प्राधिकरण को विस्तार देने की अनुमति देता है, इन्सुलेशन की आवश्यकता के विपरीत है। एक पदधारी यदि प्राधिकरण की इच्छा के अनुसार प्रदर्शन करता है, तो उसे एक विस्तार मिलेगा। इसके विपरीत, यदि कार्यालय में पदधारी प्राधिकारी की इच्छा के अनुसार प्रदर्शन नहीं करता है, तो उसे विस्तार से वंचित कर दिया जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह के अधिकारी की स्वतंत्रता ही छीन ली जाएगी। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बाहरी दबावों से उक्त कार्यालयों को प्रदान किए गए इन्सुलेशन को हटा दिया जाता है। विद्वान वकील, इसलिए, प्रस्तुत करता है कि दोनों संशोधनों को रद्द करने और अलग करने की आवश्यकता है। इसलिए भी, प्रत्यर्थी संख्या 2 को दिए गए विस्तार को अलग रखने की आवश्यकता है।

22. श्री शारंगौड़ा, रिट याचिका (सिविल) सं. में याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील। 2022 का 274 प्रस्तुत करता है कि विस्तार के चरण में सतर्कता मंजूरी की भी आवश्यकता है। वह प्रस्तुत करता है कि वर्तमान मामले में ऐसी कोई सतर्कता मंजूरी नहीं दी गई है और इस तरह, दिया गया विस्तार कानून में अनुमत नहीं है।

डी.

23. 2020 की रिट याचिका (सिविल) No.1374 में मूल याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि भारत संघ द्वारा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 8 सितंबर 2021 को पारित निर्णय और आदेश में संशोधन के लिए दायर 2022 का M. A. No.1756 कानून में अनुमत नहीं है। वह प्रस्तुत करता है कि संशोधन के लिए वर्तमान एम. ए. के माध्यम से, आवेदक, प्रभावी रूप से, इस न्यायालय के फैसले की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। 24. इस संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए

ई.

बेघर फाउंडेशन के मामले में अदालत ने अपने सचिव और एक अन्य बनाम न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य 7 के माध्यम से प्रस्तुत किया

च

कि कानून में परिवर्तन समीक्षा का आधार नहीं हो सकता है। 25. श्री के. वी. विश्वनाथन, विद्वान न्यायमित्र, ने प्रस्तुत किया कि विनीत नारायण (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने स्वतंत्र समीक्षा समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त स्वतंत्र समीक्षा समिति को, अन्य बातों के साथ-साथ, सी. बी. आई. और ई. डी. की संरचना और कार्यप्रणाली की जांच करने और बाहरी दबावों, मनमाने ढंग से निकासी या कर्मियों के स्थानांतरण आदि के खिलाफ सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव देने का काम सौंपा गया था। वह प्रस्तुत करता है कि जहाँ तक

जी.

7 (2021) 3 एससीसी 1 ए

एच.

543

डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत और हमारा संघ। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ईडी का संबंध है, प्रवर्तन निदेशक का चयन उन व्यक्तियों के पैनल में से किया जाना था जिनका न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष का था। 26. विद्वान न्यायमित्र प्रस्तुत करते हैं कि सी. वी. सी. अधिनियम, डी. एस. पी. ई. अधिनियम और एफ. आर. में संशोधन इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की लंबी कतार की भावना के बिल्कुल विपरीत हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि सी. बी. आई. के निदेशक के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशक का कार्यकाल एक निश्चित होना चाहिए ताकि ऐसा पद धारण करने वाला व्यक्ति स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से और बिना किसी बाहरी दबाव के कार्य कर सके। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विवादित संशोधन अब एक बार में एक वर्ष के तीन विस्तार की अनुमति देते हैं। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि सरकार 'गाजर और छड़ी' नीति का उपयोग कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त निदेशक सरकार की इच्छाओं के अनुसार काम करें। वह प्रस्तुत करता है कि एक निदेशक हमेशा सरकार के दबाव के आगे झुक जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसे संशोधन द्वारा कानून में दिए गए प्रावधान के अनुसार और विस्तार मिले। अतः विद्वान न्यायमित्र प्रस्तुत करते हैं कि ये प्रावधान इस न्यायालय के पहले के फैसलों की भावना से असंगत हैं कि प्रवर्तन निदेशक के साथ-साथ सी. बी. आई. के निदेशक के पद को अलग रखा जाना चाहिए। इसलिए, विद्वान न्यायमित्र प्रस्तुत करते हैं कि ऐसा प्रावधान जो प्रत्येक वर्ष के कार्यकाल को पांच वर्ष के अधिकतम संचयी कार्यकाल के अधीन एक वर्ष के कार्यकाल के विस्तार की अनुमति देता है, कार्यालय की स्वतंत्रता और अखंडता को कमजोर करता है। विद्वान न्यायमित्र प्रस्तुत करते हैं कि विवादित संशोधनों के परिणामस्वरूप सेवा/प्रशासन में ठहराव और अक्षमता भी आएगी और संवर्ग के अन्य योग्य अधिकारियों में निराशा पैदा होगी। 27. विद्वान न्यायमित्र, इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए

ग

डी.

ई.

मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य **8** का मामला

प्रस्तुत करता है कि इस न्यायालय ने अध्यक्ष/सदस्यों की 5 साल के और कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्ति के प्रावधान को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि इस तरह के प्रावधान का प्रभाव राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण (एनटीटी) के अध्यक्ष/सदस्यों की स्वतंत्रता को कम करने का है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एन. टी. टी. में नियुक्त प्रत्येक अध्यक्ष/सदस्य को इस तरह से मामलों का निर्णय करने के लिए विवश किया जाएगा जो राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 8 के संदर्भ में उनकी पुनर्नियुक्ति सुनिश्चित करेगा। उसके निर्णय उसकी स्वतंत्र समझ पर आधारित हो भी सकते हैं और नहीं भी।

च

जी.

28. इस न्यायालय के फैसले पर आगे भरोसा करते हुए विद्वान न्यायमित्र

रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के मामले में

8 (2014) 10 एससीसी 1

एच.

544 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

इसके मुख्य प्रबंधक और अन्य **9** द्वारा प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करता है कि जब

उपरोक्त प्रावधान को नियमों के माध्यम से पेश करने की मांग की गई थी, इसे इस न्यायालय द्वारा इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित बाध्यकारी सिद्धांतों की अवहेलना और न्यायिक स्वतंत्रता के विनाशकारी होने के रूप में खारिज कर दिया गया था।

29. मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए एमिकस सीखा

वी. शशिधरन और अन्य बनाम के मामले में न्यायालय।की सरकार

तमिलनाडु और ओआरएस। 10, प्रस्तुत करता है कि सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद अधिकारियों को दिए गए विस्तार से अन्य अधिकारियों के बीच असंतोष और अव्यवस्था पैदा होती है, जो सीढ़ी में नीचे होते हैं, जिनके आधिकारिक जीवन में उनकी एकमात्र आकांक्षा प्रशासनिक व्यवस्था में शीर्ष पद तक पहुंचना होगा। विद्वान न्यायमित्र प्रस्तुत करते हैं कि मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि इस तरह के विस्तार को इनाम के मामले के रूप में दिया जाता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि सेवा में अधिकारी पूरी तरह से सार्वजनिक हित के खिलाफ काम करते हुए सत्ता में बैठे लोगों की धुनों पर खेल रहा है।

ग

30. इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला पर भरोसा करते हुए सीखा हुआ न्यायमित्र

डी.

जिनमें श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड और एक अन्य बनाम ब्रोच बरो नगर पालिका और अन्य **11**, भक्तावर ट्रस्ट और अन्य बनाम एम. डी. नारायण और अन्य **12**, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, **13** रुपये और मद्रास बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले शामिल हैं।

भारत और अन्य **14**, प्रस्तुत करते हैं कि हालांकि विधानमंडल के लिए उस आधार को बदलने की अनुमति है जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाता है और इस प्रकार, सामान्य रूप से कानून में परिवर्तन, जो व्यक्तियों और घटनाओं के एक वर्ग को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा, किसी व्यक्तिगत निर्णय को अलग करने और उनके अधिकारों और देनदारियों को प्रभावित करने की अनुमति नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक प्रत्यर्थी संख्या 2 का संबंध है, इस न्यायालय द्वारा एक विशिष्ट आदेश जारी किया गया है कि उसे आगे विस्तार नहीं दिया जाएगा। विद्वान न्यायमित्र प्रस्तुत करते हैं कि विवादित संशोधन उस आधार को नहीं बदलते हैं जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था, लेकिन वास्तव में, अनिवार्यता को रद्द कर देते हैं और इस तरह, टिकाऊ नहीं होगा।

ई.

च

31. विद्वान न्यायमित्र प्रस्तुत करता है कि वह इस बात से चिंतित नहीं है कि एक व्यक्तिगत मामला क्या है। वह प्रस्तुत करता है कि वह किसी भी राजनीतिक दल द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग से चिंतित है, जो सत्ता में हो सकता है। इसे प्रस्तुत किया जाता है।

जी.

9 (2020) 6 एससीसी 1

10 1995 एससीसी ऑनलाइन मैड 592 11 (1969) 2 एससीसी 283

12 (2003) 5 एससीसी 298

13 1993 पूरक (1) एस. सी. सी. 96

14 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 463 ए

एच.

545

डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत और हमारा संघ। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

कि यदि विवादित संशोधनों को बने रहने की अनुमति दी जाती है, तो एक ऐसी प्रवृत्ति पैदा होगी जिसमें पदाधिकारी/अधिकारी सत्ता में सरकार के दबाव के आगे झुकेंगे और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे ताकि उन्हें आगे विस्तार मिल सके। इसलिए, विद्वान न्यायमित्र प्रस्तुत करते हैं कि विवादित संशोधनों को रद्द किया जा सकता है और अलग रखा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, किसी भी मामले में, संशोधित प्रावधान स्पष्ट रूप से मनमाने हैं।

32. विद्वान न्यायमित्र प्रस्तुत करते हैं कि यह तर्क कि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफ. ए. टी. एफ.) द्वारा भारत के चल रहे आपसी मूल्यांकन के कारण वर्तमान पदधारी को जारी रखने की आवश्यकता है, भी स्व-विरोधाभासी है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि संशोधन के बाद भी, प्रतिवादी संख्या 2 केवल नवंबर 2023 तक जारी रह सकती है, जबकि संभावित पूर्ण चर्चा जून 2024 के महीने में होने की संभावना है। इसलिए, यह तर्क भी आधारहीन है कि वर्तमान पदधारी की निरंतरता आवश्यक है ताकि भारत एफ. ए. टी. एफ. समीक्षा में अपने मामले का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व कर सके।

ग

33. श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल (संक्षेप में "एस. जी.") ने वर्तमान याचिकाकर्ताओं के कहने पर वर्तमान रिट याचिकाओं की स्थिरता पर प्रारंभिक आपत्ति जताई। वे प्रस्तुत करते हैं कि अधिकांश रिट याचिकाकर्ता राजनीतिक दलों के

सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि इन राजनीतिक दलों के विभिन्न सदस्यों की ईडी द्वारा जांच की जा रही है। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान रिट याचिकाएं प्रामाणिक जनहित याचिकाएं नहीं हैं, बल्कि एक अप्रत्यक्ष उद्देश्य के साथ दायर की गई हैं।

34. विद्वान एसजी प्रस्तुत करते हैं कि ईडी में प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा समिति की सिफारिश पर की जानी चाहिए जिसमें शामिल हैं: (i) केंद्रीय सतर्कता आयुक्त-अध्यक्ष (ii) सतर्कता आयुक्त-सदस्य

डी.

ई.

च

(iii) गृह मंत्रालय के प्रभारी भारत सरकार के सचिव

केंद्र सरकार में कार्य-सदस्य (iv) भारत सरकार के सचिव

जी.

मंत्रालय के प्रभारी

केंद्र सरकार में कार्मिक-सदस्य (v) भारत सरकार के सचिव -

राजस्व विभाग के प्रभारी,

एच.

546

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

केंद्र सरकार में वित्त मंत्रालय

- सदस्य

35. विद्वान एस. जी. आगे प्रस्तुत करते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने से पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों को एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसमें शामिल हैं:

- अध्यक्ष

((a) प्रधानमंत्री

((b) गृह मंत्री

- सदस्य

((c) लोक सभा में विपक्ष का नेता

- सदस्य

ग

36. विद्वान एस. जी. आगे प्रस्तुत करते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों को हटाने का प्रावधान बहुत सख्त है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उन्हें केवल साबित दुर्यवहार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है या इस न्यायालय के बाद, राष्ट्रपति द्वारा किए गए संदर्भ पर, जांच पर, सूचित किया गया है कि केंद्रीय

सतर्कता आयुक्त या किसी भी सतर्कता आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को ऐसे आधार पर हटाया जाना चाहिए। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त एक ऐसे निकाय का गठन करते हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष, त्रुटिहीन और अलग-थलग है।

डी.

ई.

37. विद्वान एस. जी. प्रस्तुत करते हैं कि, समान रूप से, सी. बी. आई. के निदेशक को, नियुक्ति से पहले, समिति द्वारा सिफारिश की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसमें शामिल हैं:

((a) प्रधानमंत्री

- अध्यक्ष

(ख) लोक सभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त या जहां विपक्ष का ऐसा कोई नेता नहीं है, तो उस सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता।

च

जी.

- सदस्य

((c) भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश

उनके द्वारा नामित

- सदस्य ए

एच.

547

डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत और हमारा संघ। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

38. विद्वान एस. जी. ने आगे कहा कि दोनों कार्यालयों में सत्ताधारियों को विस्तार केवल तभी दिया जा सकता है जब उच्च-स्तरीय समितियां (ऊपर उल्लिखित) इसकी सिफारिश करें, और वह भी जनहित में और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार में एक वर्ष का विस्तार देने का प्रावधान किया जाता है ताकि पदधारी प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। विद्वान एस. जी. आगे प्रस्तुत करते हैं कि यह तर्क कि वृद्धिशील विस्तार सरकार के दबाव में काम करने वाले अधिकारियों को प्रेरित करेगा, पूरी तरह से असमर्थनीय है। वह प्रस्तुत करते हैं कि विस्तार केवल उस मामले में दिया जा सकता है जब समिति, जैसा कि सीवीसी अधिनियम की धारा 25 में प्रदान किया गया है, इस तरह के विस्तार की सिफारिश करती है। वे प्रस्तुत करते हैं कि ऐसी समिति में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त होते हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र, त्रुटिहीन और निष्पक्ष व्यक्ति होते हैं। विद्वान एस. जी. प्रस्तुत करते हैं कि यदि एक बार में 5 साल का लंबे समय तक निर्धारित कार्यकाल दिया जाता है, तो यह भी संभावना है कि एक व्यक्ति, यह जानते हुए कि वह 5 साल की अवधि के लिए कार्यालय में बना रहेगा, अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन नहीं कर सकता है।

ग

39. विद्वान एस. जी. प्रस्तुत करते हैं कि जहां तक सी. बी. आई. के निदेशक का संबंध है, समान रूप से, विस्तार केवल उस स्थिति में दिया जा सकता है जब (ए) माननीय प्रधानमंत्री; (बी) विपक्ष के नेता; और (सी) भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति वाली समिति इस तरह के विस्तार की सिफारिश करेगी।

डी.

40. मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करते हुए विद्वान एस. जी.

ई.

भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य **15**, गोवा फाउंडेशन और एक अन्य बनाम गोवा राज्य और अन्य **16** और के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) और एक अन्य (आधार) बनाम भारत संघ और

अन्य **17** ने प्रस्तुत किया कि सामान्य कारण (2021) के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय एफ. आर. और सी. वी. सी. अधिनियम की धारा 25 (डी) के प्रावधानों के आधार पर था, जैसा कि तब मौजूद था। हालांकि, अब एफआर के साथ-साथ सीवीसी अधिनियम में भी संशोधन किया गया है। अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक संशोधन द्वारा उसी आधार को हटा लिया गया है जिसके आधार पर निर्णय दिया गया था। इसलिए, वह प्रस्तुत करते हैं कि विधानमंडल, जो निस्संदेह एक कानून पारित करने के लिए सक्षम है, ने उस आधार को हटा दिया है जिसके आधार पर सामान्य कारण (2021) निर्णय दिया गया था।

च

जी.

41. विद्वान एस. जी. प्रस्तुत करते हैं कि, इस न्यायालय द्वारा जिस प्रश्न पर विचार किया जाना है, वह यह है कि क्या इस न्यायालय के पास होगा

15 (1996) 7 एससीसी 637 16 (2016) 6 एससीसी 602 17 (2019) 1 एससीसी 1

एच.

548

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

वही निर्णय दिया जो उसके द्वारा सामान्य कारण (2021) में दिया गया था, यदि उसने उस कानून पर विचार किया था जिसमें परिवर्तन हुआ है। सीखा है।

एस. जी. प्रस्तुत करते हैं कि सामान्य कारण (2021) निर्णय कब दिया गया था

वितरित, एफ. आर. में प्रवर्तन निदेशक का पद शामिल नहीं था। अब इसे एक संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया है और यह भी प्रावधान किया गया है कि संबंधित अधिनियम में दी गई अवधि तक विस्तार दिया जा सकता है। वे प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि सीवीसी अधिनियम की संशोधित धारा 25 अब एक समय में एक वर्ष के लिए विस्तार की अनुमति देती है, इसलिए इस शर्त के साथ दिया जा सकता है कि संचयी अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क खारिज किए जाने योग्य हैं। विद्वान एस. जी. आगे प्रस्तुत करते हैं कि राज्य की विधायी कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का दायरा बहुत सीमित है। वे प्रस्तुत करते हैं कि जब तक न्यायालय यह नहीं पाता है कि कानून उस विधायिका की क्षमता के भीतर नहीं है जिसने कानून बनाया है या इसने मौलिक अधिकारों या संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है, तब तक इस न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने इस प्रस्ताव के समर्थन में इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया।

ग

डी.

42. विद्वान एस. जी. प्रस्तुत करते हैं कि यह तर्क कि सी. वी. सी. अधिनियम और डी. एस. पी. ई. अधिनियम में विवादित संशोधन द्वारा, इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश को रद्द कर दिया गया है, तथ्यहीन है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश उस समय मौजूद वैधानिक प्रावधान के आधार पर प्रासंगिक था। चूंकि वैधानिक प्रावधान में पूर्ण परिवर्तन हुआ है और उस आधार को छीन लिया गया है जिसके आधार पर आदेश जारी किया गया है, इस संबंध में तर्क खारिज किए जाने के योग्य है।

ई.

43. विद्वान एस. जी. ने आगे कहा कि भारत की एफ. ए. टी. एफ. समीक्षा की जा रही है। एफ. ए. टी. एफ. समीक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त मूल्यांकन दुनिया भर के विभिन्न देशों के सदस्यों सहित एक दल द्वारा किया जाता है। एक पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट वित्तीय प्रणाली के आपराधिक दुरुपयोग को रोकने के लिए देश की प्रणाली का गहन विवरण और विश्लेषण प्रदान करती है और साथ ही देश को अपनी प्रणाली को और मजबूत करने के लिए केंद्रित सिफारिशें भी देती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मूल्यांकन का मुख्य घटक इसकी प्रभावशीलता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त मूल्यांकन में विभिन्न घटक/चरण शामिल हैं। मूल्यांकन वर्ष 2019 में किया जाना था। हालांकि, यह कोविड-19 महामारी के कारण नहीं किया जा सका। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मूल्यांकन पहले ही शुरू हो चुका है और जून 2024 में समाप्त होने की संभावना है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि वर्तमान पदधारी पिछले कई वर्षों से मामलों के शीर्ष पर है, इसलिए यह आवश्यक पाया गया कि प्रभावी ए

च

जी.

एच.

549

डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत और हमारा संघ। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

देश द्वारा किए गए प्रयासों की प्रस्तुति, मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रखी जानी चाहिए। विद्वान एस. जी. प्रस्तुत करते हैं कि हालांकि कोई भी अपरिहार्य नहीं है, लेकिन नेतृत्व बहुत अंतर लाता है। इसलिए, यह पाया गया कि वर्तमान मूल्यांकन वर्तमान पदाधिकारी के नेतृत्व में किया जाना चाहिए।

44. श्री एस. वी. राजू, विद्वान ए. एस. जी. ने विद्वान एस. जी. द्वारा दिए गए तर्कों को पूरा किया। वह प्रस्तुत करता है कि के निर्णय को ध्यान में रखते हुए

इस न्यायालय ने मेसर्स किशन लाल लखमी चंद और अन्य के मामले में बनाम.

हरियाणा राज्य और अन्य **18**, विधानमंडल के पास न्यायालय द्वारा जारी आदेश को रद्द करने की भी शक्ति है। के निर्णय पर निर्भर

इस न्यायालय ने वेलफेयर एसोसिएशन, ए. आर. पी., महाराष्ट्र और एक अन्य बनाम रंजीत पी. गोहिल और अन्य **19** के मामले में, वह प्रस्तुत करता है कि

ग

“सामान्य कारण (2021) के मामले में पाए जाने वाले दुर्लभ और “असाधारण” को अब एक संशोधन द्वारा हटा दिया गया है और इस तरह, अधिनियमों में संशोधन या इस तरह से दिए गए विस्तार में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

45. श्री गोपाल शंकरनारायणन, प्रत्युत्तर में प्रस्तुत करते हैं कि जहां तक प्रवर्तन निदेशक का संबंध है, वह वित्त मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में हैं और वृद्धिशील विस्तार से ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां पदधारी सरकार की इच्छाओं के अनुसार कार्य करेगा। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ **20** के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के हालिया फैसले पर

भी भरोसा करते हुए प्रस्तुत करते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए ईडी और सीबीआई जैसे संस्थानों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। इसलिए, वह दोहराते हैं कि विवादित संशोधनों के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 2 को दिए गए विस्तार को भी दरकिनार कर दिया जाए।

डी.

ई.

46. पक्षकारों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हम पाते हैं कि विचार के लिए निम्नलिखित दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं:

च

(i) क्या केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा सीवीसी अधिनियम की धारा 25 में संशोधन और दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 4 बी की उप-धारा (1) में संशोधन और मौलिक (संशोधन) नियम, 2021 द्वारा मौलिक नियम, 1922 के नियम 56 के खंड (डी) में संशोधन को अधिकार से बाहर माना जा सकता है और अलग रखा जा सकता है?

जी.

18 1993 पूरक (4) एससीसी 461 19 (2003) 9 एससीसी 358

20 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 216

एच.

550

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

(ii) क्या 17 नवंबर 2021 और 17 नवंबर 2022 के आदेशों के माध्यम से प्रवर्तन निदेशक के रूप में प्रतिवादी संख्या 2 के कार्यकाल को एक वर्ष की अवधि के लिए दिया गया विस्तार कानूनी और वैध है, और यदि नहीं, तो क्या अलग करने के लिए उत्तरदायी है?

47. उक्त प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, हमें उस कानूनी इतिहास पर विचार करना होगा जिसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सी. बी. आई. के निदेशक के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति के प्रावधानों को जन्म दिया।

48. विनीत नारायण (सुप्रा) का मामला उन मामलों में सी. बी. आई. द्वारा जड़ता की शिकायत से उत्पन्न हुआ जहां आरोप उच्च गणमान्य व्यक्तियों के खिलाफ लगाया गया था। हालांकि, जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ा, अदालत ने खुद से एक सवाल पूछा कि क्या यह न्यायिक समीक्षा के दायरे में है और क्या अदालत जांच प्रक्रिया को सक्रिय करने के लिए एक प्रभावी साधन प्रदान कर सकती है जो कार्यपालिका के नियंत्रण में थी? इस न्यायालय ने समस्या का समाधान खोजने के लिए न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की अनुमति देने के लिए न्यायिक समीक्षा की संवैधानिक योजना के भीतर प्रक्रिया को नया बनाने का प्रयास किया।

ग

डी.

49. विनीत नारायण (उपरोक्त) के मामले में इस अदालत ने पाया कि सी. बी. आई. और राजस्व विभाग जैसी जांच एजेंसियों को किसी भी बाहरी प्रभाव से बचाने की आवश्यकता है ताकि वे कानून के शासन के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

ई.

“48. भारत सरकार और स्वतंत्र समीक्षा समिति (आई. आर. सी.) सहित सभी की साझा धारणा को ध्यान में रखते हुए कि सी. बी. आई. को किसी भी प्रकार के बाहरी प्रभाव से बचाने की आवश्यकता है, यह आवश्यक है कि इस स्थिति को जारी रखने से रोकने के लिए तत्काल कुछ कार्रवाई की जाए ताकि कानून के शासन का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। यह संविधान में गारंटीकृत समानता की आवश्यकता है। इस तरह की स्थिति में समानता का अधिकार भारतीय राजनीति का है, न कि केवल कुछ व्यक्तियों का। संविधान द्वारा इस न्यायालय को प्रदत्त शक्तियां इस दोष को दूर करने और समानता की अवधारणा के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं।”

च

जी.

50. इसलिए इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए: “58. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हम निम्नलिखित निर्देश देते हैं:

एच.

551

डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत और हमारा संघ। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

क.

आई. सी. निवेश का प्रवेश क्षेत्र (सी. बी. आई.) और प्रवेश वी सतर्कता आयोग (सी. वी. सी.)

1. केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी. वी. सी.) को वैधानिक दर्जा दिया जाएगा।

2. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद के लिए चयन एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल होंगे, जो उत्कृष्ट सिविल सेवकों और अन्य लोगों के एक पैनल से होगा, जिसे कैबिनेट सचिव द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी। यह काम तुरंत किया जाएगा।

ग

3. सी. वी. सी. सी. बी. आई. के कुशल कामकाज के लिए जिम्मेदार होगा। जबकि सरकार सी. बी. आई. के कामकाज के लिए जवाबदेह रहेगी, सी. बी. आई. के कामकाज की समीक्षा के लिए स्थापित किए जाने वाले तंत्र में स्पष्ट निष्पक्षता लाने के लिए, सी. वी. सी. को सी. बी. आई. के कामकाज पर पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सी. बी. आई. सी. वी. सी. को जाँच के लिए उसके द्वारा उठाए गए मामलों, जाँच की प्रगति, जिन मामलों में आरोप पत्र दायर किए जाते हैं और उनकी प्रगति के बारे में रिपोर्ट करेगी। सी. वी. सी. लोक सेवकों के अभियोजन की मंजूरी के लिए सी. बी. आई. द्वारा दायर सभी मामलों की प्रगति की समीक्षा करेगा जो सक्षम अधिकारियों के पास लंबित हैं, विशेष रूप से वे जिनमें मंजूरी में देरी हुई है या अस्वीकार कर दिया गया है।

डी.

ई.

4. केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी कि सी. बी. आई. प्रभावी और कुशलता से काम करे और इसे एक गैर-पक्षपातपूर्ण एजेंसी के रूप में देखा जाए।

च

5. सी. वी. सी. के पास पर्यवेक्षी कार्य स्थानांतरित होने के बाद सी. बी. आई. के कामकाज पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में एक अलग खंड होगा।

6. निदेशक, सी. बी. आई. की नियुक्ति के लिए सिफारिशें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा की जाएंगी, जिसमें गृह सचिव और सचिव (कार्मिक) सदस्य होंगे। समिति द्वारा सबसे अच्छा विकल्प चुनने के लिए वर्तमान निदेशक

के विचारों पर विचार किया जाएगा। यह समिति आई. पी. एस. अधिकारियों का एक पैनल उनकी वरिष्ठता, ईमानदारी, जांच में अनुभव और भ्रष्टाचार विरोधी कार्य के आधार पर बनाएगी। अंतिम चयन द्वारा किया जाएगा

जी.

एच.

552

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

चयन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल से मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ए. सी. सी.)। यदि पैनल में से कोई भी उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उसके कारणों को दर्ज किया जाएगा और समिति को एक नया पैनल तैयार करने के लिए कहा जाएगा।

7. निदेशक, सी. बी. आई. का न्यूनतम कार्यकाल दो साल का होगा, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी मामले में उपयुक्त अधिकारी को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जाए क्योंकि उसके पास अपनी नियुक्ति की तारीख से सेवानिवृत्त होने के लिए दो साल से भी कम समय है।

8. एक असाधारण स्थिति में एक निवर्तमान निदेशक, सी. बी. आई. के स्थानांतरण, जिसमें एक अधिक महत्वपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता भी शामिल है, को चयन समिति की मंजूरी मिलनी चाहिए।

ग

9. निदेशक, सी. बी. आई. को एजेंसी के भीतर काम के आवंटन के साथ-साथ जांच के लिए टीमों का गठन करने की भी पूरी स्वतंत्रता होगी। निदेशक, सी. बी. आई. द्वारा जांच दल के प्रमुख में किया गया कोई भी बदलाव ठोस कारणों और जांच में सुधार के लिए होना चाहिए, जिसके कारण दर्ज किए जा रहे हैं।

डी.

10. संयुक्त निदेशक (जे. डी.) के स्तर तक के अधिकारियों के कार्यकाल का चयन/विस्तार केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, गृह सचिव और सचिव (कार्मिक) वाले एक बोर्ड द्वारा किया जाएगा, जिसमें निदेशक, सी. बी. आई. आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा। संयुक्त निदेशक के स्तर तक के अधिकारियों के कार्यकाल का विस्तार या समय से पहले प्रत्यावर्तन इस बोर्ड की अंतिम मंजूरी के साथ होगा। केवल संयुक्त निदेशक या उससे ऊपर के पद के अधिकारियों की नियुक्ति या कार्यकाल के विस्तार से संबंधित मामलों को निर्णय के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ए. सी. सी.) को भेजा जाएगा।

ई.

च

11. बुनियादी ढांचे में सुधार, जांच के तरीकों आदि के प्रस्तावों पर तत्काल निर्णय लिया जाना चाहिए। सी. बी. आई. की आंतरिक विशेषज्ञता को मजबूत करने के लिए राजस्व, बैंकिंग और सुरक्षा क्षेत्रों के पेशेवरों को सी. बी. आई. में शामिल किया जाना चाहिए।

जी.

12. सी. आर. पी. सी. के वैधानिक प्रावधानों पर आधारित सी. बी. आई. नियमावली सी. बी. आई. के कामकाज के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करती है। यह आवश्यक है कि सी. बी. आई. छापे, जब्ती और गिरफ्तारी जैसे अपने जांच कार्यों के संबंध में नियमावली के प्रावधानों का ईमानदारी से पालन करे। स्थापित प्रक्रिया से कोई भी विचलन होना चाहिए

एच.

डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत और हमारा संघ। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

इसे गंभीरता से लिया जाए और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

13. निदेशक, सी. बी. आई. निर्धारित समय-सीमा के भीतर अदालतों में आरोप-पत्र दाखिल करना सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा और निदेशक, सी. बी. आई. द्वारा मामले की निरंतर समीक्षा की जानी चाहिए।

14. सी. बी. आई. के कामकाज पर एक दस्तावेज़ तीन महीने के भीतर प्रकाशित किया जाना चाहिए ताकि आम जनता को जांच पर प्रतिक्रिया और वास्तविक शिकायतों के निवारण के लिए जानकारी इस तरह से प्रदान की जा सके जो सी. बी. आई. की परिचालन आवश्यकताओं के साथ समझौता न करे।

ग

15. अभियोजन के लिए मंजूरी देने के लिए तीन महीने की समय-सीमा का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। हालांकि, एक महीने के अतिरिक्त समय की अनुमति दी जा सकती है जहां अटॉर्नी जनरल (एजी) या एजी के कार्यालय में किसी अन्य कानून अधिकारी के साथ परामर्श की आवश्यकता होती है।

डी.

16. निदेशक, सी. बी. आई. को एजेंसी में भ्रष्टाचार और/या अक्षमता को रोकने के लिए कर्मियों का नियमित मूल्यांकन करना चाहिए।

II. ई एनफोर्समेन्ट डी इरेक्टोरेट

1. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में एक चयन समिति, जिसमें गृह सचिव, सचिव (कार्मिक) और राजस्व सचिव शामिल हैं, निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय की नियुक्ति के लिए एक पैनल तैयार करेगी। निदेशक के पद पर नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ए. सी. सी.) द्वारा चयन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल से की जाएगी।

ई.

च

2. निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, निदेशक, सी. बी. आई. की तरह न्यूनतम दो साल का कार्यकाल होगा। उसके मामले में भी, किसी भी असाधारण कारण से समय से पहले स्थानांतरण को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता वाली उपरोक्त चयन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

जी.

3. निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय के पद के महत्व को देखते हुए, इसे सरकार के अतिरिक्त सचिव/विशेष सचिव के रूप में उन्नत किया जाएगा। 4. संवेदनशील कार्यों को संभालने वाले प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी ताकि वे निडरता से अपने कार्यों का निर्वहन कर सकें।

एच.

5. प्रवर्तन निदेशालय में संयुक्त निदेशक के स्तर तक कार्यकाल के विस्तार का निर्णय केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता वाली उक्त समिति द्वारा किया जाना चाहिए। 6. सी. बी. आई./प्रवर्तन निदेशालय द्वारा समय से पहले कोई मीडिया प्रचार नहीं किया जाएगा।

7. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एक वर्ष की अवधि के भीतर निर्णय/अभियोजन शुरू किया जाएगा। 8. निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय जांच/निर्णयों को तेजी से पूरा करने और अभियोजन शुरू करने की निगरानी और सुनिश्चित करेगा। राजस्व सचिव को उनकी प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करनी चाहिए।

ग

9. विदेशों में जांच के त्वरित संचालन के लिए, अनुरोध पत्र के लिए आवेदन दाखिल करने की मंजूरी देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाएगा और यदि आवश्यक हो, तो राजस्व सचिव को मंजूरी देने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

डी.

10. पारदर्शिता के लिए अपने कामकाज की प्रक्रियाओं/प्रणालियों के बारे में जनता को सूचित करने के लिए निदेशालय द्वारा एक व्यापक परिपत्र प्रकाशित किया जाएगा।

11. सी. बी. आई./प्रवर्तन निदेशालय में सक्षम कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति करके आंतरिक कानूनी सलाह तंत्र को मजबूत किया जाएगा।

ई.

12. राजस्व विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय के कामकाज का विस्तृत विवरण होगा।

III. एन ओडल ए जेन्सी

च

1. राजनीतिक-नौकरशाह-आपराधिक सांठगांठ वाले मामलों में समन्वित कार्रवाई के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक नोडल एजेंसी का गठन किया जाएगा, जिसमें सदस्य (जांच), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, महानिदेशक, राजस्व खुफिया, निदेशक, प्रवर्तन और निदेशक, सीबीआई सदस्य होंगे।

जी.

2. नोडल एजेंसी की बैठक महीने में कम से कम एक बार होगी। 3. नोडल एजेंसी के कामकाज और प्रभावकारिता पर लगभग एक वर्ष तक नजर रखी जानी चाहिए ताकि इस अवधि के भीतर प्राप्त अनुभव के आधार पर इसमें सुधार किया जा सके।"

एच.

555

डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत और हमारा संघ। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

क.

51. इस न्यायालय द्वारा जारी उपरोक्त निर्देशों के अनुसरण में, सरकार ने शुरू में अध्यादेश जारी किया और अंत में सीवीसी अधिनियम लागू किया।

52. सीवीसी अधिनियम की धारा 3 केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन से संबंधित है।

53. सीवीसी अधिनियम की धारा 4 केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है, जो इस प्रकार है:

"4. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति और

सतर्कता आयुक्त।—(1) केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हाथ और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी:

ग

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत प्रत्येक नियुक्ति एक समिति की सिफारिश प्राप्त करने के बाद की जाएगी जिसमें -

डी.

ई.

स्पष्टीकरण।—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "लोक सभा में विपक्ष का नेता", जब ऐसा कोई नेता मान्यता प्राप्त नहीं है, तो लोक सभा में सरकार के विरोध में सबसे बड़े समूह के नेता को शामिल करेगा।

च

(2) केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या सतर्कता आयुक्त की कोई भी नियुक्ति केवल समिति में किसी भी रिक्ति के कारण अमान्य नहीं होगी।"

54. सीवीसी अधिनियम की धारा 6 केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त को हटाने से संबंधित है, जो इस प्रकार है:

जी.

"6. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाना और

सतर्कता आयुक्त।—(1) उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी सतर्कता आयुक्त को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश पर, साबित दुर्यवहार या अक्षमता के आधार पर ही राष्ट्रपति के आदेश से उनके पद से हटाया जाएगा।

एच.

556

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

राष्ट्रपति ने जाँच के बाद सूचित किया है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी भी सतर्कता आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, इस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।

(2) राष्ट्रपति कार्यालय से निलंबित हो सकता है, और यदि आवश्यक लगे तो जाँच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से भी प्रतिबंधित कर सकता है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या कोई सतर्कता आयुक्त जिसके संबंध में उप-धारा (1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय को निर्देश दिया गया है, जब तक कि राष्ट्रपति ऐसे निर्देश पर सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आदेश पारित नहीं कर देता है।

(3) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति आदेश द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी सतर्कता आयुक्त को पद से हटा सकता है, यदि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या ऐसी सतर्कता आयुक्त, जैसा भी मामला हो -

ग

(क) दिवालिया घोषित किया जाता है; या

डी.

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की राय में नैतिक अधमता शामिल है; या
(ग) अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान किए गए रोजगार में संलग्न है; या
ई.

(घ) राष्ट्रपति की राय में, मन या शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है; या

(ङ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है जिससे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या सतर्कता आयुक्त के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

च

(4) यदि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या कोई सतर्कता आयुक्त भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी अनुबंध या समझौते में किसी भी तरह से संबंधित या रुचि रखता है या बन जाता है या उसके लाभ में या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या परिलब्धि में किसी भी तरह से भाग लेता है, तो वह एक सदस्य के रूप में और एक निगमित कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ समान रूप से, उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, दुर्व्यवहार का दोषी माना जाएगा।"

जी.

एच.

557

डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत और हमारा संघ। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

क.

55. सीवीसी अधिनियम की धारा 25 ईडी के अधिकारियों की नियुक्तियों आदि से संबंधित है, जो इस प्रकार है:

"25. निदेशालय के अधिकारियों की नियुक्तियाँ आदि।

प्रवर्तन।—विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, -

(क) केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय में प्रवर्तन निदेशालय में एक प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति समिति की सिफारिश पर करेगी जिसमें -

ग

डी.

ई.

(ख) एक सिफारिश करते समय, समिति नियुक्ति के लिए पात्र अधिकारियों की ईमानदारी और अनुभव को ध्यान में रखेगी।

(ग) भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद से नीचे का कोई भी व्यक्ति प्रवर्तन निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

च

(घ) प्रवर्तन निदेशक अपने पद ग्रहण करने की तारीख से कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे।

जी.

(ङ) खंड (क) में निर्दिष्ट समिति की पूर्व सहमति के अलावा प्रवर्तन निदेशक का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

(च) खंड (क) में निर्दिष्ट समिति, प्रवर्तन निदेशक के परामर्श से,

एच.

558

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

प्रवर्तन उप निदेशक के स्तर से ऊपर के पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों की सिफारिश करना और प्रवर्तन निदेशालय में ऐसे अधिकारियों के कार्यकाल के विस्तार या कटौती की भी सिफारिश करना।

(छ) खंड (च) के तहत सिफारिश की प्राप्ति पर, केंद्र सरकार ऐसे आदेश पारित करेगी जो वह उक्त सिफारिश को प्रभावी बनाने के लिए उचित समझे।"56. इसी तरह, 2003 के अधिनियम संख्या 45 (सी. वी. सी. अधिनियम) द्वारा डी. एस. पी. ई. अधिनियम में एक संशोधन द्वारा, सी. बी. आई. के निदेशक की नियुक्ति के लिए एक समिति के लिए एक प्रावधान किया गया था, जो इस प्रकार है:

ग

"4-A. निदेशक की नियुक्ति के लिए समिति।—(1) केंद्र सरकार निदेशक की नियुक्ति समिति की सिफारिश पर करेगी जिसमें -
डी.

ई.

(2) उप-धारा (1) के तहत कोई भी सिफारिश करते समय समिति निवर्तमान निदेशक के विचारों पर विचार करेगी।

च

(3) समिति अधिकारियों के एक पैनल की सिफारिश करेगी-(ए) भ्रष्टाचार विरोधी मामलों की जांच में वरिष्ठता, सत्यनिष्ठा और अनुभव के आधार पर; और

(ख) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) के तहत गठित भारतीय पुलिस सेवा से संबंधित अधिकारियों में से चुना गया,

जी.

निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाना।"

57. डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 4-बी निदेशक की सेवा के नियमों और शर्तों से संबंधित है, जो इस प्रकार है:

एच.

559

डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत और हमारा संघ। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

क.

"4-ख. निदेशक की सेवा के नियम और शर्तें।—(1) द.

निदेशक, अपनी सेवा की शर्तों से संबंधित नियमों में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, अपने पद ग्रहण करने की तारीख से कम से कम दो साल की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे।

(2) निदेशक का स्थानांतरण धारा 4-ए की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट समिति की पूर्व सहमति के अलावा नहीं किया जाएगा।

58. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि सीवीसी अधिनियम की धारा 25 के खंड (डी) को देखते हुए, जैसा कि संशोधन से पहले मौजूद था, यह प्रावधान किया गया था कि प्रवर्तन निदेशक अपने पद ग्रहण करने की तारीख से कम से कम दो साल की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे। 59. इसी तरह, डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 4 बी को देखते हुए, सी. बी. आई. के निदेशक को पदभार ग्रहण करने की तारीख से कम से कम दो साल की अवधि के लिए पद पर बने रहने की आवश्यकता थी। इसने यह भी प्रावधान किया कि निदेशक का स्थानांतरण धारा 4 ए की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट समिति की पूर्व सहमति के अलावा नहीं किया जाएगा।

ग

डी.

60. केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा सीवीसी अधिनियम की धारा 25 के खंड (डी) में निम्नलिखित प्रावधान जोड़े गए हैं:

“बशर्ते कि जिस अवधि के लिए प्रवर्तन निदेशक अपनी प्रारंभिक नियुक्ति पर पद धारण करता है, वह जनहित में, खंड (ए) के तहत समिति की सिफारिश पर और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है:

ई.

बशर्ते कि प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि सहित कुल पांच वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद ऐसा कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।”

च

61. इसी तरह, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा, डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 4 बी की उप-धारा (1) में निम्नलिखित प्रावधान जोड़े गए हैं:

जी.

“बशर्ते कि वह अवधि जिसके लिए निदेशक अपनी प्रारंभिक नियुक्ति पर पद धारण करता है, जनहित में, धारा 4 क की उप-धारा (1) के तहत समिति की सिफारिश पर और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है:

एच.

560

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

बशर्ते कि प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि सहित कुल पांच वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद ऐसा कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।”

62. इसी तरह, मौलिक नियम, 1922 के नियम 56 के खंड (घ) में, पाँचवें परंतुक को भी प्रतिस्थापित किया गया है, जो निम्नानुसार है: “बशर्ते कि केंद्र सरकार, यदि वह जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के तहत नियुक्त रक्षा सचिव, गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, अनुसंधान और विश्लेषण शाखा के सचिव और केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (2003 का 45) के तहत नियुक्त प्रवर्तन निदेशालय में प्रवर्तन निदेशक को ऐसी अवधि या अवधि के लिए सेवा में विस्तार दे सकती है, जो

वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए मामले-दर-मामले के आधार पर उचित समझे, बशर्ते कि ऐसे सचिवों या निदेशकों का कुल कार्यकाल, जिन्हें इस नियम के तहत सेवा में ऐसा विस्तार दिया जाता है, दो साल से अधिक न हो।"

ग

डी.

63. सी. वी. सी. अधिनियम और डी. एस. पी. ई. अधिनियम में इन दो संशोधनों के साथ-साथ मौलिक नियम, 1922 में संशोधन को वर्तमान कार्यवाही में चुनौती दी गई है।

ई.

64. सी. वी. सी. अधिनियम और डी. एस. पी. ई. अधिनियम में संशोधनों द्वारा जो प्रावधान किया गया है वह यह है कि जिस अवधि के लिए प्रवर्तन निदेशक या सी. बी. आई. के निदेशक अपनी प्रारंभिक नियुक्ति पर पद धारण करते हैं, वह जनहित में समिति की सिफारिश पर हो सकता है, जिसके लिए वैधानिक योजना के तहत ऐसे निदेशक की नियुक्ति की सिफारिश करने की आवश्यकता थी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरे परंतुक में प्रावधान है कि प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि सहित कुल पांच साल की अवधि पूरी होने के बाद ऐसा कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

च

जी.

65. याचिकाकर्ताओं का यह तर्क है कि इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों ने सभी प्रकार के बाहरी प्रभावों से सीबीआई निदेशक/प्रवर्तन निदेशक के कार्यालय का पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ-साथ सीबीआई/ए की संस्था की अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

एच.

561

डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत और हमारा संघ। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ईडी समग्र रूप से। यह तर्क दिया जाता है कि संशोधन, जो सरकार को एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए विस्तार का प्रावधान करने में सक्षम बनाते हैं और जो कुल मिलाकर तीन विस्तार तक हो सकते हैं, सरकार को 'गाजर और छड़ी' नीति लागू करने में सक्षम बनाएगा। यह तर्क दिया जाता है कि यदि सी. बी. आई. के निदेशक के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशक सरकार की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, तो उन्हें उनके कार्यकाल का विस्तार प्रदान किया जा सकता है। इसके विपरीत, यदि ऐसा निदेशक सरकार की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, तो उसे कार्यकाल विस्तार से वंचित कर दिया जाएगा। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इन प्रमुख एजेंसियों को सरकार द्वारा बाहरी दबावों से बचाने के उद्देश्य को विवादित संशोधनों द्वारा मिटा दिया जाना चाहिए।

ग

66. संशोधनों की वैधता के संबंध में मुद्दे पर विचार करने के लिए, इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख करना उचित होगा जो विधानमंडल के विधायी कार्यों की जांच करने में न्यायिक समीक्षा के दायरे को रेखांकित करते हैं।

67. के मामले में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ

डी.

आसिफ हमीद और अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और

अन्य 21 ने इस प्रकार कहा: “17. इन अपीलों में सीधे तौर पर शामिल विवाद पर ध्यान देने से पहले हम अपने संविधान के तहत लोकतंत्र के तीन अंगों के बीच के कामकाज पर एक नया नज़र डाल सकते हैं। यद्यपि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को संविधान के तहत इसकी पूर्ण कठोरता में मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने राज्य के विभिन्न अंगों के कार्यों को सावधानीपूर्वक परिभाषित किया है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को संविधान के तहत सीमांकित अपने क्षेत्रों के भीतर काम करना होगा। कोई भी अंग दूसरे को सौंपे गए कार्यों को हड़प नहीं सकता है। संविधान इन अंगों के निर्णय पर भरोसा करता है कि वे कार्य करेंगे और उसमें निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करके अपने विवेक का प्रयोग करेंगे। लोकतंत्र की कार्यप्रणाली इसके प्रत्येक अंग की ताकत और स्वतंत्रता पर निर्भर करती है। विधायिका और कार्यपालिका, लोगों की इच्छा के दो पहलू हैं, उनके पास वित्त सहित सभी शक्तियां हैं। न्यायपालिका के पास तलवार या पर्स पर कोई अधिकार नहीं है, फिर भी उसके पास यह सुनिश्चित करने की शक्ति है कि राज्य के उपरोक्त दो मुख्य अंग संवैधानिक सीमाओं के भीतर काम करें। यह लोकतंत्र का प्रहरी है। न्यायिक समीक्षा विधायिका द्वारा शक्ति के असंवैधानिक प्रयोग को रोकने के लिए एक शक्तिशाली हथियार है और

ई.

च

जी.

21 1989 पूरक (2) एस. सी. 364

एच.

562

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

कार्यकारी। न्यायिक समीक्षा के बढ़ते क्षितिज ने सामाजिक और आर्थिक न्याय की अवधारणा को अपने दायरे में ले लिया है। जबकि विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों का प्रयोग न्यायिक संयम के अधीन है, हमारी अपनी शक्ति के प्रयोग पर एकमात्र रोक न्यायिक संयम का स्व-थोपा अनुशासन है।

18. फ्रैंकफर्टर, यू. एस. सुप्रीम कोर्ट के जे. ने ट्रॉप बनाम डलेस [356 यू. एस. 86] के विवादास्पद निर्वासन मामले में असहमति जताते हुए कहा:

“मैडिसन के वाक्यांश में, सभी शक्ति एक अतिक्रमणकारी प्रकृति की है। न्यायिक शक्ति इस मानवीय कमजोरी से अछूती नहीं है। इसे अपनी उचित सीमा से परे अतिक्रमण के खिलाफ भी सतर्क रहना चाहिए, और कम नहीं क्योंकि इस पर एकमात्र संयम आत्म-संयम है।

ग

शक्ति की सीमाओं और शक्ति के विवेकपूर्ण प्रयोग के बीच के अंतर का सख्ती से पालन करने के लिए-अधिकार के प्रश्नों और विवेक के प्रश्नों के बीच-दो अवधारणाओं के इस निर्णायक लेकिन सूक्ष्म संबंध की सबसे सतर्क सराहना की आवश्यकता है जो बहुत आसानी से एकजुट हो जाते हैं। इस अंतर का पालन करने के लिए अनुशासित इच्छाशक्ति की आवश्यकता भी कम नहीं है। अलग-थलग रहना और विवेक की कमी को हावी होने देना आसान नहीं है ताकि मामलों के संचालन में जो बुद्धिमानी है, उसके बारे में अपने स्वयं के दृढ़ दृष्टिकोण की अवहेलना की जा सके। लेकिन नीति घोषित करना इस न्यायालय का काम नहीं है। इसे अपनी शक्ति पर सीमाओं के लिए एक कठोर सम्मान का पालन करना चाहिए, और यह अदालत की अपनी धारणाओं को प्रभावी बनाने से रोकता है कि क्या बुद्धिमान या राजनीतिक है। न्यायिक शपथ के पालन में यह आत्म-संयम महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान ने न्यायाधीशों को कांग्रेस और कार्यकारी शाखा के विवेक पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत नहीं किया है।”

डी.

ई.

च

19. जब किसी राज्य की कार्रवाई को चुनौती दी जाती है, तो अदालत का कार्य कानून के अनुसार कार्रवाई की जांच करना और यह निर्धारित करना होता है कि क्या विधायिका या कार्यपालिका ने संविधान के तहत सौंपी गई शक्तियों और कार्यों के भीतर काम किया है और यदि नहीं, तो अदालत को कार्रवाई को रद्द करना चाहिए। ऐसा करते समय न्यायालय को अपनी स्व-निर्धारित सीमाओं के भीतर रहना चाहिए। अदालत सरकार की एक समन्वय शाखा की कार्रवाई पर निर्णय देती है। प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय एक अपीलीय प्राधिकरण नहीं है। संविधान अदालत को नीति या ए के मामलों में कार्यपालिका को निर्देश या सलाह देने की अनुमति नहीं देता है।

जी.

एच.

563

डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत और हमारा संघ। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

संविधान के तहत विधायिका या कार्यपालिका के दायरे में आने वाले किसी भी मामले के बारे में उपदेश देना, बशर्ते कि ये अधिकारी अपनी संवैधानिक सीमाओं या वैधानिक शक्तियों का उल्लंघन न करें।"

68. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि न्यायपालिका की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के उपरोक्त दो अंग यानी विधानमंडल और कार्यपालिका संवैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य करें। न्यायिक समीक्षा विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्ति के असंवैधानिक प्रयोग को रोकने के लिए एक शक्तिशाली हथियार है। इस न्यायालय की भूमिका इस बात की जांच करने तक सीमित है कि क्या विधानमंडल या कार्यपालिका ने संविधान के तहत सौंपी गई शक्तियों और कार्यों के भीतर काम किया है। हालाँकि, ऐसा करते समय, न्यायालय को अपनी स्व-निर्धारित सीमाओं के भीतर रहना चाहिए।

ग

69. हाल ही में, बिनाय विश्व बनाम भारत संघ और अन्य 22 के मामले में इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर प्रासंगिक निर्णयों का सर्वेक्षण किया और इस प्रकार टिप्पणी की:

"78. इसके साथ, हम न्यायिक समीक्षा के आधार पर चर्चा का विज्ञापन करते हैं जो विधायिका द्वारा पारित कानून के एक टुकड़े की वैधता पर निर्णय लेने के लिए उपलब्ध हैं। हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि किसी विशेष कानून या कानून में निहित प्रावधान को दो आधारों पर अमान्य किया जा सकता है, अर्थात्: (i) यह कानून पारित करने वाली विधायिका की क्षमता के भीतर नहीं है, और/या (ii) यह संविधान के भाग III में निर्धारित किसी भी मौलिक अधिकार या संविधान के किसी अन्य अधिकार/प्रावधान का उल्लंघन है। न्यायिक समीक्षा की इन रूपरेखाओं को राकेश कोहली [एम. पी. बनाम एम. पी. की स्थिति] में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। राकेश कोहली (2012) 6 एस. सी. सी. 312: (2012) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 481], और विशेष रूप से निम्नलिखित पैराग्राफों में: (एस. सी. सी. पीपी. 321-22 और 325-27, पैरा 16-17, 26-28 और 30)

डी.

ई.

च

"16. संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून को हल्के में असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है। अदालत को किसी भी संदेह से परे यह ठहराने में सक्षम होना चाहिए कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन इतना स्पष्ट था कि

चुनौती के तहत विधायी प्रावधान खड़ा नहीं हो सकता। संवैधानिक प्रावधानों के स्पष्ट उल्लंघन के बिना, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को खराब घोषित नहीं किया जाता है।

जी.

17. इस न्यायालय ने बार-बार कहा है कि विधायी अधिनियम को न्यायालय द्वारा केवल दो आधारों पर रद्द किया जा सकता है,

22 (2017) 7 एससीसी 59

एच.

564

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

अर्थात् (i) कि उपयुक्त विधानमंडल के पास कानून बनाने की क्षमता नहीं है, और (ii) कि वह (एस. आई. सी.) संविधान के भाग III या किसी अन्य संवैधानिक प्रावधानों में उल्लिखित किसी भी मौलिक अधिकार को छीन या कम नहीं करता है।

मैकडॉवेल एंड कंपनी। [ए. पी. बनाम राज्य। मैकडॉवेल एंड कंपनी,

(1996) 3 एस. सी. सी. 709] अनुच्छेद 14 पर आधारित एक अधिनियम की चुनौती पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने रिपोर्ट के पैरा 43 में निम्नानुसार कहा: (एस. सी. सी. पीपी. 737-38)

‘43. ... संसद या विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि को न्यायालय द्वारा दो आधारों और केवल दो आधारों पर निरस्त किया जा सकता है अर्थात् (1) विधायी क्षमता की कमी, और (2) संविधान के भाग III या किसी अन्य संवैधानिक प्रावधान में गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन। कोई तीसरा आधार नहीं है।... यदि किसी अधिनियम को अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी जाती है, तो इसे केवल तभी निरस्त किया जा सकता है जब यह पाया जाए कि यह उसमें निहित समानता खंड/समान संरक्षण खंड का उल्लंघन करता है। इसी तरह, यदि किसी अधिनियम को अनुच्छेद 19 (1) के उपखंड (ए) से (जी) द्वारा गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी जाती है, तो इसे केवल तभी निरस्त किया जा सकता है जब इसे अनुच्छेद 19 के किसी भी खंड (2) से (6) द्वारा संरक्षित नहीं पाया जाता है।

ग

डी.

पर। किसी भी अधिनियम को केवल यह कहकर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि यह मनमाना या अनुचित है। किसी न किसी ई.

किसी अधिनियम को अमान्य करने से पहले संवैधानिक दुर्बलता का पता लगाना होता है। किसी अधिनियम को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि अदालत इसे अनुचित समझती है। संसद और विधानमंडलों को, जो जनता के प्रतिनिधियों से बने होते हैं, लोगों की जरूरतों और उनके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, के बारे में जानना और जागरूक होना चाहिए। अदालत उनके विवेक पर फैसले में नहीं बैठ सकती।”

च

26. मोहम्मद में। हनीफ कुरेशी [मोहम्मद। हनीफ

कुरैशी बनाम बिहार राज्य, ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 731], संविधान पीठ ने आगे कहा कि किसी अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा एक धारणा होती है और यह दिखाने का भार उस पर है, जो उस पर हमला करता है कि संवैधानिक सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। रिपोर्ट के पैरा 15 में कहा गया है: (ए. आई. आर. पीपी. 740-41)

जी.

एच.

565

डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत और हमारा संघ। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

क.

‘15. ... यह स्वीकार किया जाता है कि अदालतों को यह मान लेना चाहिए कि विधायिका अपने लोगों की जरूरतों को समझती है और सही ढंग से सराहना करती है, कि उसके कानून अनुभव द्वारा प्रकट की गई समस्याओं के लिए निर्देशित हैं और इसके भेदभाव पर्याप्त आधारों पर आधारित हैं। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि विधायिका नुकसान की मात्रा को पहचानने के लिए स्वतंत्र है और अपने प्रतिबंधों को उन मामलों तक सीमित कर सकती है जहां आवश्यकता को स्पष्ट माना जाता है और अंत में संवैधानिकता के अनुमान को बनाए रखने के लिए न्यायालय सामान्य ज्ञान के मामलों, सामान्य रिपोर्ट के मामलों, समय के इतिहास पर विचार कर सकता है और उन तथ्यों की हर स्थिति को मान सकता है जिनकी कल्पना कानून के समय की जा सकती है।”

ग

27. उपरोक्त कानूनी स्थिति को इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा महांत मोती दास बनाम एस. पी. साही [महांत मोती दास बनाम एस. पी. साही, ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 942] में दोहराया गया है।

डी.

28. हमरद दवाखाना बनाम भारत संघ में [हमरद]

दवाखाना बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 554:1960 श्री एल. जे. 735], अन्य बातों के साथ-साथ, पहले के दो निर्णयों का उल्लेख करते हुए,

अर्थात्, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड [बंगाल इम्यूनिटी कंपनी।

लिमिटेड वी. बिहार राज्य, ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 661] और महांत मोती दास [महांत मोती दास बनाम एस. पी. साही, ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 942], यह रिपोर्ट के पैरा 8 में निम्नानुसार देखा गया था: (हमरद दवाखाना

ई.

मामला [हमरद दावा बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 1960 एस. सी.

554 :1960 Cri LJ 735], AIR p.559) ‘8. इसलिए, जब किसी अधिनियम की संवैधानिकता को संविधान के भाग III के किसी भी अनुच्छेद के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जाती है, तो इसकी वास्तविक प्रकृति और चरित्र का पता लगाना आवश्यक हो जाता है, यानी इसकी विषय-वस्तु, जिस क्षेत्र में इसे संचालित करने का इरादा है, उसके उद्देश्य और इरादे को निर्धारित करना होगा। ऐसा करने के लिए सभी कारकों को ध्यान में रखना वैध है जैसे कि कानून का इतिहास, उसका उद्देश्य, आसपास की परिस्थितियाँ और स्थितियाँ, जिस शरारत को वह दबाने का इरादा रखता था, उस बीमारी का उपचार जिसे विधायिका ने ठीक करने का संकल्प लिया और उपचार का सही कारण।’

च

जी.

एच.

566 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

हमदर्द दावा में [हमदर्द दावा बनाम संघ

भारत, आकाशवाणी 1960 एससी 554:1960 न्यायालय ने सी. आर. आई. एल. जे. 735], में भी कानून के बयान का पालन किया, जिसमें कहा गया था कि [महंत मोती दास बनाम एस. पी. साही, ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 942] और पहले के दो निर्णय,

अर्थात्, चरणजीत लाल चौधरी बनाम भारत संघ [चरणजीत]

लाल चौधरी बनाम भारत संघ, 1950 एससीसी 833:ए. आई. आर 1951 एस. सी. 41:1950 एस. सी. आर. 869] और बाम्बे राज्य बनाम एफ. एन. बलसारा [बाम्बे राज्य बनाम एफ. एन. बलसारा, 1951 एस. सी. सी. 860:ए. आई. आर 1951 एस. सी. 318:(1951) 52 सी. आर. आई. एल. जे. 1361] और इस सिद्धांत को दोहराया कि धारणा हमेशा एक अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में थी।

ग

30. एक सर्वविदित सिद्धांत कि कराधान के क्षेत्र में, विधायिका को वर्गीकरण के लिए अधिक अक्षांश प्राप्त है, इस न्यायालय द्वारा मामलों की एक लंबी कतार में नोट किया गया है। इनमें से कुछ निर्णय

स्टीलवर्थ लिमिटेड बनाम असम राज्य [स्टीलवर्थ लिमिटेड बनाम राज्य

डी.

असम, 1962 का पूरक (2) एससीआर 589], गोपाल नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। [गोपाल नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 370], गंगा

शुगर कॉर्प. लिमिटेड वी. यू. पी. राज्य [गंगा शुगर कॉर्पोरेशन।

लिमिटेड वी. उत्तर प्रदेश राज्य (1980) 1 एस. सी. सी. 223:1980 एससीसी (कर) 90]

, आर. के. गर्ग बनाम भारत संघ [आर. के. गर्ग बनाम भारत संघ,

(1981) 4 एससीसी 675:1982 एस. सी. सी. (कर) 30] और राज्य

ई.

डब्ल्यू. बी. वी. E.I.T.A. इंडिया लिमिटेड. [राज्य डब्ल्यू. बी. बनाम E.I.T.A. इंडिया लिमिटेड,

(2003) 5 एससीसी 239] "

(मूल में जोर)

79. पुनः, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ में [अशोक]

कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, (2008) 6 एससीसी 1:3 एस. सी. ई. सी. 35], इस न्यायालय ने निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां कीं: (एस. सी. सी. पी. 524, पैरा 219)

च

“219. संसद द्वारा पारित कानून को केवल संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त आधारों पर ही चुनौती दी जा सकती है। आम तौर पर, किसी कानून के हमले का आधार यह है कि क्या विधायिका के पास विधायी क्षमता है या क्या कानून संविधान के प्रावधानों से परे है। यदि कानून के किसी भी प्रावधान से मौलिक अधिकारों या संविधान के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन होता है, तो यह निश्चित रूप से ए की शक्ति का उपयोग करके कानून को दरकिनार करने का एक वैध आधार हो सकता है।

जी.

एच.

567

डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत और हमारा संघ। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

न्यायिक समीक्षा। एक कानून को अनुचित के रूप में भी चुनौती दी जा सकती है यदि यह हमारे संविधान में समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है या यह संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करता है। किसी कानून को केवल अनुचितता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि वह अपने आप में एक आधार नहीं है। संवैधानिक संशोधन की वैधता और पूर्ण विधान की वैधता को विशुद्ध रूप से संवैधानिक कानून के प्रश्नों के रूप में तय किया जाना चाहिए। राजस्थान राज्य बनाम संघ मामले में यह न्यायालय

भारत सरकार [राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ, (1977) 3 एस. सी. सी.

592] उन्होंने कहा: (एस. सी. सी. पी. 660, पैरा 149) '149. ... यदि न्यायालय के समक्ष लाया गया कोई प्रश्न विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक प्रश्न है जिसमें किसी कानूनी या संवैधानिक अधिकार या दायित्व का निर्धारण शामिल नहीं है, तो न्यायालय इसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि न्यायालय का संबंध केवल कानूनी अधिकारों और देनदारियों के निर्णय से है।'

ग

डी.

इसलिए, याचिकाकर्ता की याचिका कि कानून का उद्देश्य स्वयं वोट पकड़ने के तंत्र के हिस्से के रूप में समुदाय के एक वर्ग को खुश करना था, कानूनी रूप से स्वीकार्य याचिका नहीं है और इसे केवल खारिज किया जाना है।"

80. इसके अलावा, यह भी विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि उपरोक्त दो आधारों के अलावा किसी भी कानून को अमान्य करने के लिए कोई तीसरा आधार उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में ए. पी. राज्य की निम्नलिखित टिप्पणियों को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा। मैकडॉवेल एंड कंपनी। [ए. पी. बनाम राज्य। मैकडॉवेल एंड कंपनी, (1996) 3 एस. सी. सी. 709], जो इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया निर्णय है: (एस. सी. सी. पी. 737-38, पैरा 43)

ई.

च

“43. ... संसद या विधायिका द्वारा बनाई गई किसी विधि को अदालतों द्वारा दो आधारों और केवल दो आधारों पर निरस्त किया जा सकता है अर्थात् (1) विधायी क्षमता की कमी और (2) संविधान के भाग III या किसी अन्य संवैधानिक प्रावधान में गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन। कोई तीसरा आधार नहीं है। हम प्रक्रियात्मक अनुचितता और मूल अनुचितता की अवधारणाओं की चर्चा में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं—संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों से प्रेरित अवधारणाएँ। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी, इन अवधारणाओं और विशेष रूप से मूल नियत प्रक्रिया की अवधारणा में

जी.

एच.

[2023] 10 एस सी आर।

यह अंतहीन विवाद साबित हुआ, नवीनतम सोच इस आधार (मूल नियत प्रक्रिया) में गंभीर कटौती की ओर बढ़ रही है। मूल उचित प्रक्रिया के आधार के खिलाफ मुख्य आलोचना यह है कि यह कानून के विशेष टुकड़े को लागू करने में विधायिका के विवेक के मध्यस्थ के रूप में अदालतों की स्थापना करना चाहता है। हमारे लिए यह कहना पर्याप्त है कि इसे किसी भी नाम से चिह्नित किया जाए, अमान्य होने का आधार ऊपर वर्णित दो आधारों के चार कोनों के भीतर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, मान लीजिए, यदि किसी अधिनियम को अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी जाती है, तो इसे केवल तभी निरस्त किया जा सकता है जब यह पाया जाए कि यह उसमें निहित समानता खंड/समान संरक्षण खंड का उल्लंघन करता है। इसी तरह, यदि किसी अधिनियम को अनुच्छेद 19 (1) के उपखंड (ए) से (जी) द्वारा गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी जाती है, तो इसे केवल तभी निरस्त किया जा सकता है जब इसे अनुच्छेद 19 के किसी भी खंड (2) से (6) आदि द्वारा संरक्षित नहीं पाया जाता है। किसी भी अधिनियम को केवल यह कहकर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि यह मनमाना है [एक अभिव्यक्ति जिसका व्यापक रूप से और बल्कि अंधाधुंध रूप से उपयोग किया जाता है-स्वाभाविक रूप से अस्पष्ट महत्व की अभिव्यक्ति। भारत में इस अभिव्यक्ति का व्यापक उपयोग फ्रैंकफर्ट, जे की याद दिलाता है।

ग

डी.

हैटी माई टिलर बनाम अटलांटिक कोस्ट लाइन रेलरोड कंपनी में कहा गया है,

87 एल एड 610:318 यूएस 54 (1943): "यह वाक्यांश जीवन को एक साहित्यिक अभिव्यक्ति के रूप में शुरू करता है; इसकी खुशी इसकी आलसी पुनरावृत्ति की ओर ले जाती है और पुनरावृत्ति जल्द ही इसे एक कानूनी सूत्र के रूप में स्थापित करती है, जिसका उपयोग विभिन्न और कभी-कभी विरोधाभासी विचारों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। या अनुचित। किसी अधिनियम को अमान्य करने से पहले किसी न किसी संवैधानिक दुर्बलता का पता लगाना पड़ता है। किसी अधिनियम को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि अदालत इसे अनुचित समझती है। संसद और विधानमंडलों को, क्योंकि वे जनता के प्रतिनिधियों से बने होते हैं, लोगों की जरूरतों और उनके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, के बारे में जानना और जागरूक होना चाहिए। अदालत उनके विवेक पर फैसले में नहीं बैठ सकती। इस संबंध में यह याद रखना चाहिए कि प्रशासनिक कार्रवाई के मामले में भी न्यायिक समीक्षा का दायरा तीन आधारों तक सीमित है अर्थात् (i) अनुचितता, जिसे अधिक उचित रूप से तर्कहीनता कहा जा सकता है, (ii) अवैधता, और (iii) प्रक्रियात्मक अनुचितता।

ई.

च

जी.

(सिविल सेवा संघ परिषद बनाम सिविल सेवा मंत्री [सिविल सेवा संघ परिषद बनाम मंत्री देखें।

सिविल सेवा के लिए, 1985 अधिनियम 374:(1984) 3 डब्ल्यू. एल. आर. 1174:

एच.

569

डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत और हमारा संघ। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

क.

(1984) 3 सभी ई. आर. 935 (एच. एल.)] जो निर्णय इस न्यायालय द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया है। प्रशासनिक कानून के क्षेत्र में भी आनुपातिकता के सिद्धांत की प्रयोज्यता अभी भी एक विवादास्पद मुद्दा है। (लॉर्ड्स लॉरी और एकनर की राय देखें।)

आर. वी. मेंसिकरी। गृह विभाग के लिए राज्य का।, एक्स पी ब्रिंड [आर. वी.] सिकरी। गृह विभाग के लिए राज्य का।, एक्स पी ब्रिंड,

(1991) 1 एसी 696:(1991) 2 डब्ल्यूएलआर 588:(1991) 1 सभी ईआर 720 (एचएल)], पीपी पर एसी. 766-67 और 762।) यह अजीब होगा यदि किसी अधिनियम को उक्त सिद्धांत को लागू करके निरस्त कर दिया जाए, जबकि प्रशासनिक कानून के क्षेत्र में भी इसकी प्रयोज्यता पूरी तरह से और अंत में तय नहीं हुई है।"

ग

81. इस संदर्भ में एक अन्य पहलू, जिस पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है, वह यह है कि किसी कानून को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है कि यह "मनमाना" है क्योंकि यह जांच करना कि क्या कोई विशेष अधिनियम मनमाना है या मूल्य निर्णय का तात्पर्य नहीं है और अदालतें विधायी विकल्पों के विवेक की जांच नहीं करती हैं और इसलिए यह अभ्यास नहीं कर सकती हैं। इसे इस न्यायालय राजबाला बनाम हरियाणा राज्य [राजबाला बनाम हरियाणा राज्य, (2016) 2 एस. सी. सी. 445] के हाल के एक फैसले में इस तरह से मान्यता दी गई थी, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था: (एस. सी. सी. पी. 481, पैरा 64-65) "64. मैकडॉवेल एंड कंपनी मामले के उपरोक्त उद्धरण से [स्टेट ऑफ ए. पी. बनाम मैकडॉवेल एंड कंपनी, (1996) 3 एस. सी. सी. 709] यह स्पष्ट है कि इस देश में अदालतें इस आधार पर कानून के एक टुकड़े को असंवैधानिक घोषित करने का कार्य नहीं करती हैं कि कानून "मनमाना" है क्योंकि इस तरह की कवायद एक मूल्य निर्णय का तात्पर्य है और अदालतें विधायी विकल्पों के विवेक की जांच नहीं करती हैं जब तक कि कानून अन्यथा संविधान के कुछ विशिष्ट प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है। इस तरह की जांच करना भारतीय कानून की संवैधानिकता की जांच करते समय अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले के समय में नियोजित "मूल उचित प्रक्रिया" के सिद्धांत को वस्तुतः आयात करने के बराबर होगा। जैसा कि उपरोक्त उद्धरण में बताया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी यह सिद्धांत वर्तमान में संदिग्ध वैधता का है। यह न्यायालय बहुत पहले ए. एस.

डी.

ई.

च

जी.

कृष्ण बनाम मद्रास राज्य [ए. एस. कृष्ण बनाम मद्रास राज्य]

मद्रास, ए. आई. आर 1957 एस. सी. 297:1957 सी. आर. आई. एल. जे. 409] ने घोषणा की कि भारतीय संविधान के तहत उचित प्रक्रिया के सिद्धांत का कोई उपयोग नहीं है। जैसा कि फ्रैंकफर्टर, जे. ने बताया, मनमानेपन एक मंत्र बन गया।

एच.

570

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

65. उपरोक्त कारणों से, हमारी राय है कि इस न्यायालय के लिए किसी कानून को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित करने की अनुमति नहीं है कि यह "मनमाना" है।"

82. इसी तरह की भावनाएँ इस न्यायालय द्वारा पहले के. टी. में व्यक्त की गई थीं।

बागान (पी) लिमिटेड [के. टी. प्लांटेशन (पी) लिमिटेड बनामकी स्थिति

कर्नाटक, (2011) 9 एससीसी 1:(2011) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 414] निम्नलिखित शब्दों में:(एस. सी. सी. पी. 58, पैरा 205)

“205. अनुचितता, मनमानेपन, आनुपातिकता आदि की याचिका हमेशा व्यक्तिपरकता के एक तत्व को उठाती है जिस पर एक अदालत किसी कानून या वैधानिक प्रावधान को रद्द नहीं कर सकती है, खासकर जब संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार नहीं है। अन्यथा अदालत अपने विवेक को विधायिका के ज्ञान के स्थान पर रखेगी, जो हमारे संवैधानिक लोकतंत्र में अस्वीकार्य है।”

ग

एक दुर्भाग्य से, एक कानून को इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता है कि विधायिका ने अपने दिमाग को लागू नहीं किया या यह किसी अनुचित उद्देश्य से प्रेरित था।

डी.

83. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारतीय न्यायालयों को संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित प्राथमिक विधान को निरस्त करने की शक्तियां दी गई हैं। हालांकि, न्यायिक समीक्षा की यह कवायद करते समय, इसे तीन स्तरों पर किया जाना है। पहले चरण में, न्यायालय इस बात की जांच करेगा कि क्या किसी विधान में विवादित प्रावधान मौलिक अधिकारों या संवैधानिक प्रावधानों (मूल न्यायिक समीक्षा) के अनुरूप है या यह शक्तियों के संघीय वितरण (प्रक्रियात्मक न्यायिक समीक्षा) के खिलाफ है। यदि ऐसा नहीं पाया जाता है, तो आगे किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चुनौती विफल हो जाएगी। दूसरी ओर, यदि यह पाया जाता है कि विधायिका में क्षमता की कमी है क्योंकि विधिबद्ध विषय अनुसूची VII में सूची में सौंपी गई शक्तियों के भीतर नहीं था, तो आगे किसी जांच की आवश्यकता नहीं है और इस तरह के कानून को संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया जाना चाहिए। हालांकि, ठोस न्यायिक समीक्षा करते समय, यदि यह पाया जाता है कि विवादित प्रावधान मौलिक अधिकारों या अन्य संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता प्रतीत होता है, तो न्यायालय समीक्षा के दूसरे चरण में पहुंच जाता है। जाँच के इस दूसरे चरण में, न्यायालय को यह अभ्यास करना चाहिए कि क्या विवादित प्रावधान को अभी भी इसे पढ़कर बचाया जा सकता है ताकि इसे संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप लाया जा सके। यदि वह प्राप्त करने योग्य नहीं है तो ए

ई.

च

जी.

एच.

571

डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत और हमारा संघ। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

जाँच तीसरे चरण में प्रवेश करती है। यदि कानून का उल्लंघन करने वाला हिस्सा अलग करने योग्य है, तो इसे अलग कर दिया जाता है और न्यायालय इसे असंवैधानिक घोषित करने वाले विवादित प्रावधान को रद्द कर देता है। 84. उपरोक्त मापदंडों को ध्यान में रखते हुए हम इस स्तर पर "सीमित सरकार" की अवधारणा के आधार पर याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर चर्चा करने के लिए कुछ समय देना चाहते हैं।

XXX XXX XXX XXX XXX

88. निस्संदेह, हम उदारीकृत लोकतंत्र के युग में हैं। संविधान द्वारा शासित एक लोकतांत्रिक समाज में, लोकतांत्रिक राजनीति के संवैधानिककरण की दिशा में एक मजबूत प्रवृत्ति है, जहां लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के कार्यों को संविधान के आलोक में आंका जाता है। इस संदर्भ में, न्यायपालिका संविधान और लोकतंत्र के रक्षक की भूमिका निभाती है, जो संविधान की व्याख्या से जुड़े सभी मामलों में अंतिम मध्यस्थ है।

ग

डी.

89. ऐसा कहने के बाद, जब किसी विधान की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने की बात आती है, तो ऐसी शक्ति के दायरे को ध्यान में रखा जाना चाहिए और न्यायिक समीक्षा करने के लिए न्यायपालिका को सौंपे गए सीमित क्षेत्र के भीतर शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इसलिए, जब तक याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित नहीं करता है कि संसद ने विवादित प्रावधान को लागू करने में संविधान में निर्धारित अपनी शक्ति को पार कर लिया है या यह प्रावधान किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तब तक "सीमित शासन" पर आधारित तर्क सफल नहीं होगा। सफल होने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा उपरोक्त अवयवों में से एक को स्थापित करने की आवश्यकता है।"

ई.

च

70. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून को हल्के में असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए, न्यायालय को किसी भी संदेह से परे यह ठहराने में सक्षम होना चाहिए कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन इतना स्पष्ट था कि चुनौती के तहत विधायी प्रावधान खड़ा नहीं हो सकता। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब तक संवैधानिक प्रावधानों का घोर उल्लंघन नहीं होता, तब तक संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को खराब घोषित नहीं किया जा सकता है।

जी.

71. इस न्यायालय का यह सुसंगत दृष्टिकोण रहा है कि विधायी अधिनियम को केवल दो आधारों पर निरस्त किया जा सकता है। सबसे पहले यह कि

एच.

572

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

उपयुक्त विधायिका के पास कानून बनाने की क्षमता नहीं है; और दूसरा, यह कि यह संविधान के भाग III या किसी अन्य संवैधानिक प्रावधानों में उल्लिखित किसी भी मौलिक अधिकार को छीन या कम कर देता है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी भी अधिनियम को केवल यह कहकर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि यह मनमाना या अनुचित है। किसी अधिनियम को अमान्य करने से पहले किसी न किसी संवैधानिक दुर्बलता का पता लगाना पड़ता है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संसद और विधानसभाएँ, जो जनता के प्रतिनिधियों से बनी हैं, उन्हें लोगों की जरूरतों और उनके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, के बारे में पता होना चाहिए और जागरूक होना चाहिए। अदालत उनके विवेक पर फैसले में नहीं बैठ सकती।

72. इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विधानमंडल के किसी अधिनियम या अधिनियम के किसी प्रावधान को अमान्य घोषित करने के लिए केवल एक ही आधार है, और वह यह है कि यदि यह स्पष्ट रूप से संविधान के किसी प्रावधान का इतने स्पष्ट तरीके से उल्लंघन करता है कि कोई संदेह नहीं छोड़ता है। यह भी माना गया है कि यदि दो विचार संभव हैं, एक कानून को संवैधानिक बनाता है और दूसरा इसे असंवैधानिक बनाता है, तो पहले वाले विचार को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय को किसी कानून की संवैधानिक वैधता को बनाए रखने के लिए हर संभव

प्रयास करना चाहिए, भले ही इसके लिए एक तनावपूर्ण निर्माण देने या इसके दायरे को कम करने की आवश्यकता हो।⁷³ यह लगातार माना जाता रहा है कि संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा एक धारणा होती है, और किसी कानून को तब तक असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि मामला इतना स्पष्ट न हो कि वह संदेह से मुक्त हो। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि पारित किया गया कानून किसी विधायिका को प्रदत्त शक्ति के दायरे में है और उस शक्ति पर किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करता है, तो कानून को बरकरार रखा जाना चाहिए जो भी अदालत इसके बारे में सोचे।

ग

डी.

ई.

74. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि विधायी अधिनियम के लिए चुनौती केवल तभी स्थायी होगी जब यह स्थापित हो जाए कि संबंधित विधायिका के पास उस विषय पर अधिनियमित करने की कोई विधायी क्षमता नहीं थी जिसे उसने अधिनियमित किया है। दूसरा आधार जिसके आधार पर वैधता को चुनौती दी जा सकती है, वह यह है कि ऐसा अधिनियम संविधान के भाग III या संविधान के किसी अन्य प्रावधान में निर्धारित किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। एक अन्य आधार जिसे इस न्यायालय के हाल के फैसलों से निकाला जा सकता है, वह यह है कि विधायी अधिनियम की वैधता को स्पष्ट मनमानेपन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। हालाँकि, ऐसा करते समय, यह याद रखना होगा कि अनुमान एक विधायी अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में है।

च

जी.

75. वर्तमान मामले में, यह किसी का मामला नहीं है कि संसद के पास उस विषय पर अधिनियम बनाने की शक्ति नहीं थी जिस पर उपरोक्त संशोधन ए

एच.

573

डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत और हमारा संघ। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

लागू किए गए हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के लिए उक्त आधार उपलब्ध नहीं है।

76. अगला आधार जिसके आधार पर उपरोक्त संशोधनों की वैधता को चुनौती दी जा सकती है, वह यह है कि क्या वे संविधान के भाग III में निर्धारित किसी भी मौलिक अधिकार या संविधान के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करते हैं।

77. यह आग्रह किया जाता है कि उपरोक्त संशोधन इस अदालत द्वारा सीबीआई निदेशक/प्रवर्तन निदेशक का एक निश्चित कार्यकाल रखने के लिए जारी किए गए निर्देश को विफल कर देंगे और कार्यपालिका द्वारा 'गाजर और छड़ी' नीति को अपनाने की अनुमति देंगे। यह आग्रह किया जाता है कि यदि उपरोक्त संशोधनों को अस्तित्व में रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह उपरोक्त उच्च पदों को बाहरी दबावों से बचाने के उद्देश्य को विफल कर देगा। आइए हम इस प्रस्तुति पर विचार करें।

ग

78. जहां तक प्रवर्तन निदेशक का संबंध है, केंद्र सरकार ऐसे निदेशक की नियुक्ति केवल समिति की सिफारिश पर कर सकती है जिसमें शामिल हैं:

डी.

(i) केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष); (ii) सतर्कता आयुक्त (सदस्य);

(iii) केंद्र सरकार में कार्मिक मंत्रालय के प्रभारी भारत सरकार के सचिव (सदस्य); (iv) केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय के प्रभारी भारत सरकार के सचिव (सदस्य);

ई.

(v) केंद्र सरकार में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के प्रभारी भारत सरकार के सचिव (सदस्य)।

च

79. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि किसी व्यक्ति को प्रवर्तन निदेशक के रूप में तभी नियुक्त किया जा सकता है जब उपरोक्त समिति उस आशय की सिफारिश करे। उक्त समिति में अन्य बातों के साथ-साथ केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के साथ-साथ सतर्कता आयुक्त भी शामिल हैं।

जी.

80. जैसा कि ऊपर बताया गया है, सीवीसी अधिनियम की धारा 4 केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति केवल एक समिति के बाद की जा सकती है जिसमें (ए) प्रधानमंत्री (अध्यक्ष); (बी) केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त मंत्री शामिल हैं।

एच.

574

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

गृह मामले (सदस्य) और (ग) लोक सभा में विपक्ष के नेता (सदस्य) इसके लिए सिफारिश करते हैं। इसके स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि जब लोक सभा में विपक्ष के ऐसे किसी नेता को इस तरह से मान्यता नहीं दी गई है, तो समिति में लोक सभा में सरकार के विरोध में सबसे बड़े समूह के नेता को शामिल किया जाएगा।

81. सीवीसी अधिनियम की धारा 6 के अवलोकन से पता चलता है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों को हटाने के लिए बहुत सख्त प्रावधान किया गया है। उन्हें केवल साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पद से हटाया जा सकता है और वह भी, राष्ट्रपति द्वारा दिए गए संदर्भ पर उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच पर यह सूचित करने के बाद कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी भी सतर्कता आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को ऐसे आधार पर हटाया जाना चाहिए।

ग

82. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या सतर्कता आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया बहुत सख्त है। जब तक राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को दिए गए निर्देश पर, सर्वोच्च न्यायालय एक जांच आयोजित करता है और यह रिपोर्ट देता है कि ऐसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या सतर्कता आयुक्त, जो भी मामला हो, को साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जाना चाहिए, उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। इस प्रकार, इन अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए एक बहुत मजबूत सुरक्षा प्रदान की गई है और कानून उन्हें बाहरी दबावों से बचाता है।

डी.

ई.

83. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के साथ-साथ सतर्कता आयुक्त भी शामिल हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि विनीत नारायण (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में प्रवर्तन निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए एक चयन समिति को निर्देश दिया, जिसमें

गृह सचिव, सचिव (कार्मिक) और राजस्व सचिव शामिल थे। हालांकि, सीवीसी अधिनियम की धारा 25 में एक समिति का प्रावधान है, जिसमें उपरोक्त तीन सदस्यों के अलावा सतर्कता आयुक्त भी शामिल हैं।

च

जी.

84. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति के लिए समिति का गठन विनीत नारायण (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश की तुलना में व्यापक है और इसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के साथ-साथ सतर्कता आयुक्त भी शामिल हैं।

एच.

575

डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत और हमारा संघ। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

क.

85. जैसा कि ऊपर पहले ही देखा जा चुका है, कानून में सुरक्षा व्यवस्था है जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त के कार्यालय को बाहरी दबावों से बचाती है और उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देती है।

86. इसी तरह, सी. बी. आई. के निदेशक की नियुक्ति समिति द्वारा एक उम्मीदवार की सिफारिश के बाद ही की जानी है जिसमें शामिल हैं: (i) प्रधानमंत्री (अध्यक्ष);

((ii) लोक सभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त या जहां विपक्ष का ऐसा कोई नेता नहीं है, तो उस सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता (सदस्य); (iii) भारत का मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश (सदस्य)।

ग

87. यह ध्यान देने योग्य है कि जहां तक सी. बी. आई. के निदेशक की नियुक्ति का संबंध है, विनीत नारायण (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने निर्देश दिया था कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा सिफारिशों की जानी चाहिए, जिसमें गृह सचिव और सचिव (कार्मिक) सदस्य के रूप में हों। हालांकि, डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 4 ए एक समिति का प्रावधान करती है, जिसमें ऐसे सदस्य शामिल होते हैं जो बहुत उच्च स्तर पर होते हैं। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री को करनी होती है, जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति और लोक सभा में विपक्ष के नेता इसके सदस्य होते हैं। इसलिए, सी. बी. आई. के निदेशक की नियुक्ति तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से बनी उच्च स्तरीय समिति द्वारा इसकी सिफारिश नहीं की जाती है।

डी.

ई.

88. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त प्रावधान इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए किए गए हैं।

च

विनीत नारायण (ऊपर)।

89. विनीत नारायण (उपरोक्त) के मामले में इस अदालत ने एक विशिष्ट निर्देश जारी किया है कि सी. बी. आई. के निदेशक के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशक का न्यूनतम कार्यकाल दो साल का होगा।

जी.

90. विवादित संशोधनों में यह प्रावधान किया गया है कि जिस अवधि के लिए प्रारंभिक नियुक्ति की गई है, वह जनहित में एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। हालाँकि, यह केवल उस समिति की सिफारिश पर किया जा सकता है जो उनकी नियुक्तियों के लिए गठित की गई है। दूसरे परंतुक में आगे यह प्रावधान किया गया कि अवधि पूरी होने के बाद ऐसा कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

एच.

576

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि सहित कुल पाँच वर्ष। विवादित संशोधन सरकार को प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि सहित अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के अधीन, उक्त कार्यालय में पदधारी के कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाने का अधिकार देते हैं। जैसा कि पहले ही ऊपर कहा गया है, इस तरह के विस्तार सरकार द्वारा केवल तभी दिए जा सकते हैं जब उनकी नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए गठित समितियाँ जनहित में अपने विस्तार की सिफारिश करें और लिखित रूप में कारण भी दर्ज करें।

91. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यह सरकार की इच्छा पर नहीं है कि सी. बी. आई. निदेशक/प्रवर्तन निदेशक के कार्यालय में कार्यरत लोगों को विस्तार दिया जा सकता है। यह केवल उन समितियों की सिफारिशों के आधार पर है जो उनकी नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए गठित की जाती हैं और वह भी जब यह जनहित में पाया जाता है और जब कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाते हैं, तो सरकार द्वारा ऐसा विस्तार दिया जा सकता है।

ग

डी.

92. विनीत नारायण (उपरोक्त) के मामले में और याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा किए गए बाद के फैसलों में इस न्यायालय द्वारा जो निर्देश दिया गया है, वह यह है कि ऐसे निदेशक का न्यूनतम कार्यकाल दो साल का होना चाहिए, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। विवादित संशोधनों द्वारा उक्त अवधि के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। जो किया गया है वह यह है कि केवल एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए उनकी अवधि बढ़ाने की शक्ति दी गई है, जो इस तरह के तीन विस्तारों की अधिकतम संख्या के अधीन है। हालाँकि, यह केवल तभी किया जाना चाहिए जब उनकी नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए गठित समिति को जनहित में, इस तरह के विस्तार को प्रदान करना आवश्यक लगे। इसके अलावा उक्त उद्देश्य के लिए कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना आवश्यक है।

ई.

च

93. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, नियुक्ति के संबंध में उपरोक्त प्रावधान विनीत नारायण (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में अधिनियमित किए गए हैं। जब एक समिति पर उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की सिफारिश करने के संबंध में भरोसा किया जा सकता है, तो हम इस बात का कोई कारण नहीं देखते हैं कि ऐसी समितियों पर इस बात पर विचार करने के लिए भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता है कि क्या विस्तार जनहित में दिया जाना आवश्यक है या नहीं। दोहराव की कीमत पर, ऐसी समिति को ऐसी सिफारिशों के समर्थन में लिखित रूप में कारण दर्ज करने की भी आवश्यकता होती है। 94. इसलिए हम इन तर्कों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि विवादित संशोधन सरकार को ए को मनमाना शक्ति प्रदान करते हैं।

जी.

एच.

डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत और हमारा संघ। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ई. डी./सी. बी. आई. के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाना और बाहरी दबावों से इन कार्यालयों के इन्सुलेशन को मिटा देने का प्रभाव पड़ता है।

95. जहां तक मौलिक नियम, 1922 के नियम 56 के खंड (घ) के पांचवें परंतुक में संशोधन को चुनौती देने का संबंध है, नियम 56 के खंड (घ) के पांचवें परंतुक को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा, जो संशोधन से पहले मौजूद था। वह इस प्रकार है:

“बशर्ते कि केंद्र सरकार, यदि वह जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो रक्षा सचिव, गृह सचिव, निदेशक, खुफिया ब्यूरो, सचिव, अनुसंधान और विश्लेषण शाखा और निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो को ऐसी अवधि या अवधियों के लिए सेवा में विस्तार दे सकती है जो वह मामले-दर-मामले के आधार पर उचित समझे, इस शर्त के अधीन कि ऐसे सचिवों या निदेशकों का कुल कार्यकाल, जिन्हें इस नियम के तहत सेवा में ऐसा विस्तार दिया जाता है, दो साल से अधिक नहीं है। बशर्ते कि पांचवें परंतुक में कुछ भी निहित होने के बावजूद, केंद्र सरकार, यदि इसे आवश्यक समझती है, तो सार्वजनिक हित में, गृह सचिव और रक्षा सचिव को दो साल की उक्त अवधि से अधिक तीन महीने की अवधि के लिए सेवा में विस्तार दे सकती है।”

ग

डी.

96. मौलिक नियम, 1922 के नियम 56 के खंड (घ) के संशोधित पांचवें परंतुक को हम पहले ही पैराग्राफ 62 में पुनः प्रस्तुत कर चुके हैं।

ई.

97. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि संशोधन के आधार पर केंद्र सरकार के पास विस्तार देने की जो शक्ति उपलब्ध थी, यदि वह जनहित में ऐसा करने के लिए आवश्यक समझती है, तो कुछ अधिकारियों के मामले में, अब डी. एस. पी. ई. अधिनियम के तहत नियुक्त सी. बी. आई. के निदेशक और सी. वी. सी. अधिनियम के तहत नियुक्त ईडी में प्रवर्तन निदेशक को भी विस्तार दिया गया है। दूसरा परिवर्तन जो लाया गया है वह यह है कि सेवा में इस तरह का विस्तार दो साल या संबंधित अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में प्रदान की गई अवधि से अधिक नहीं है, जिसके तहत उनकी नियुक्तियां की जाती हैं।

च

जी.

98. चूंकि हम पहले ही यह अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि सीवीसी अधिनियम की धारा 25 के खंड (डी) और डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 4 बी की उप-धारा (1) में संशोधन असंवैधानिक नहीं है, इसलिए हम यह अभिनिर्धारित करने का कोई कारण नहीं देखते हैं कि मौलिक नियम, 1922 में संशोधन कानून में अनुज्ञेय नहीं है। नतीजतन, हमारा विचार है कि वैधता के लिए चुनौती

एच.

578

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2021 और मौलिक (संशोधन) नियम, 2021 विफल हो जाते हैं और याचिकाकर्ताओं के कहने पर उस हद तक रिट याचिकाएं खारिज की जा सकती हैं।⁹⁹ यह हमें अगले सवाल के साथ छोड़ देता है कि क्या 17 नवंबर, 2021 और 17 नवंबर, 2022 के विवादित आदेश, जो प्रत्येक को एक वर्ष की अवधि के लिए विस्तार देते हैं, कानून में मान्य हैं या नहीं।

100. सामान्य कारण (2021) के मामले में, इसके तहत क्या था

चुनौती 13 नवंबर 2020 का आदेश था, जिसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति ने नियुक्ति की अवधि को दो साल से बढ़ाकर तीन साल करके 19 नवंबर 2018 के आदेश में संशोधन को मंजूरी दी थी। इस प्रकार, वास्तव में, जिसे चुनौती दी गई थी, वह था दूसरे प्रत्यर्थी के कार्यकाल के लिए एक साल का विस्तार। इस न्यायालय के समक्ष यह आग्रह किया गया कि सरकार के लिए कार्यकाल की अवधि को दो साल से आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं है। पैराग्राफ 15 में, इस न्यायालय ने विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न रखा: “जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाना बाकी है, वह यह है कि क्या उस व्यक्ति के कार्यकाल का विस्तार किया जा सकता है जिसे दो साल की अवधि के लिए प्रवर्तन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और जिसने अंतराल में सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली है, यानी दो साल की समाप्ति से पहले।”

ग

डी.

ई.

101. पैराग्राफ 20 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

“20. हम पहले ही मान चुके हैं कि सीवीसी अधिनियम की धारा 25 (एफ) को पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि प्रवर्तन निदेशक का कार्यकाल न्यूनतम दो साल की अवधि के लिए होता है। दो साल की अवधि के बाद प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए कार्यकाल तय करने के कारणों पर पहले के पैराग्राफ में चर्चा की गई है। हम याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा की गई दलीलों से सहमत नहीं हैं कि धारा 25 की उप-धारा (च) में प्रदान किए गए प्रवर्तन उप-निदेशक के पद से ऊपर के अधिकारियों के कार्यकाल के विस्तार को प्रवर्तन निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाने की सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। चूंकि प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति का कार्यकाल अधिकतम दो साल की अवधि नहीं है, इसलिए एक व्यक्ति को ए अवधि के लिए प्रवर्तन निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

च

जी.

एच.

579

डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत और हमारा संघ। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

दो साल से अधिक। यदि सरकार के पास किसी व्यक्ति को दो साल से अधिक की अवधि के लिए प्रवर्तन निदेशक के रूप में नियुक्त करने की शक्ति है, तो सीवीसी अधिनियम की धारा 25 को सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के साथ असंगत नहीं कहा जा सकता है। पंजाब राज्य बनाम हरनेक सिंह (उपर्युक्त) मामले में उनके न्यायालय के उस कथन के बाद जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सामान्य खंड अधिनियम को सभी केंद्रीय अधिनियमों में पढ़ा जाना चाहिए जब तक कि विशेष रूप से बाहर नहीं किया जाता है, हमारा विचार है कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 में सन्निहित निर्माण के नियम में सीवीसी अधिनियम की धारा 25 के संदर्भ और विषय वस्तु का संदर्भ है। कमला प्रसाद खेतान (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय इस मामले के तथ्यों पर लागू होता है और याचिकाकर्ता द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, जिनका इस मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है।”

102. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि सरकार के पास प्रवर्तन निदेशक का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि से आगे बढ़ाने की शक्ति नहीं है। यह अभिनिर्धारित करने के बावजूद, इस न्यायालय ने विशेष रूप से पैराग्राफ 23 में इस प्रकार टिप्पणी की:

डी.

“23. दूसरे प्रतिवादी के कार्यकाल के विस्तार के लिए भारत संघ द्वारा दिया गया औचित्य यह है कि सीमा पार अपराधों में महत्वपूर्ण जांच एक महत्वपूर्ण चरण में हैं। दूसरे प्रत्यर्थी के कार्यकाल को बढ़ाने का निर्णय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार है। हालाँकि हमने प्रवर्तन निदेशक के कार्यकाल को दो साल की अवधि से आगे बढ़ाने की भारत संघ की शक्ति को बरकरार रखा है, लेकिन हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने वाले अधिकारियों को दिए गए कार्यकाल का विस्तार केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए। सीवीसी अधिनियम की धारा 25 (ए) के तहत गठित समिति द्वारा कारण दर्ज किए जाने के बाद ही चल रही जांच को पूरा करने की सुविधा के लिए विस्तार की उचित अवधि दी जा सकती है। सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद प्रवर्तन निदेशक के पद पर आसीन व्यक्तियों को दिए गए कार्यकाल का कोई भी विस्तार छोटी अवधि के लिए होना चाहिए। हम तत्काल मामले में दूसरे प्रतिवादी के कार्यकाल के विस्तार में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखते हैं क्योंकि उनका कार्यकाल नवंबर, 2021 में समाप्त हो रहा है। हम बनाते हैं।

ई.

च

जी.

एच.

580 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

स्पष्ट करें कि दूसरे प्रत्यर्थी को आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।”

[जोर दिया गया] 103. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने एक विशिष्ट आदेश जारी किया कि दूसरे प्रतिवादी को आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। निर्विवाद रूप से, भारत संघ के साथ-साथ 2022 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 456 में प्रतिवादी संख्या 2-संजय कुमार मिश्रा उक्त कार्यवाही के पक्षकार थे।

104. इस न्यायालय के सात विद्वान न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ

मदन मोहन पाठक और एक अन्य बनाम भारत संघ के मामले में

और अन्य 23 जीवन बीमा निगम (निपटान में संशोधन) अधिनियम, 1976 की संवैधानिक वैधता के सवाल पर विचार कर रहे थे। जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 49 के तहत निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, 1959 से ही, जीवन बीमा निगम ("एल. आई. सी.") और उसके कर्मचारियों के बीच तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा के नियमों और शर्तों से संबंधित विभिन्न मामलों के संबंध में समय-समय पर विभिन्न समझौते किए गए थे। उक्त समझौतों को एल. आई. सी. के बोर्ड और केंद्र सरकार द्वारा भी मंजूरी दी गई थी। 25 सितंबर 1975 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया था, जिसे बोनस का भुगतान (संशोधन) अध्यादेश 1975 कहा जाता है। इसके बाद, उक्त अध्यादेश को बोनस भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसे अध्यादेश की तारीख, यानी 25 सितंबर 1975 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया था। इस संशोधन कानून ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के बोनस के अधिकारों को काफी कम कर दिया। हालाँकि, जहाँ तक एल. आई. सी. के कर्मचारियों का संबंध है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालाँकि, एल. आई. सी. के कर्मचारियों को उन लाभों से वंचित कर दिया गया, जिनके वे हकदार थे। इन परिस्थितियों में, अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ और कुछ अन्य लोगों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसमें एल. आई. सी. को प्रशासनिक निर्देशों के साथ 24 जनवरी 1974 के समझौते की शर्तों के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया गया। 105. कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और उक्त रिट याचिका में

अनुरोध के अनुसार आदेश और निषेध का एक रिट जारी किया। एल. आई. सी. ने लेटर्स पेटेंट अपील (संक्षेप में "एल. पी. ए.") को प्राथमिकता दी। तथापि, एल. पी. ए. के लंबित रहने के दौरान, 29 मई, 1976 को इस न्यायालय के समक्ष आक्षेपित अधिनियम अधिनियमित किया गया था। इसका प्रभाव

ग

डी.

ई.

च

जी.

23 (1978) 2 एससीसी 50 ए

एच.

581

डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत और हमारा संघ। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

इस अधिनियम का उद्देश्य उन लाभों को रद्द करना था जो एल. आई. सी. के कर्मचारी कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश को ध्यान में रखते हुए पाने के हकदार थे।

106. भगवती, जे (अपने लिए बोलते हुए, कृष्ण अय्यर और देसाई, जे. जे.) ने इस प्रकार कहा:

“9. इसलिए, हमारा विचार है कि किसी भी स्थिति में, चाहे विवादित अधिनियम संवैधानिक रूप से मान्य हो या नहीं, जीवन बीमा निगम कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश का पालन करने और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्ष 1 अप्रैल, 1975 से 31 मार्च, 1976 के लिए वार्षिक नकद बोनस का भुगतान करने के लिए बाध्य है।”

ग

107. भीख माँगे। सी. जे. ने अपने सहमत निर्णय में इस प्रकार टिप्पणी की:

“32. हालाँकि, मैं यह देख सकता हूँ कि भले ही अधिनियम का वास्तविक उद्देश्य कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश के परिणाम को दरकिनार करना हो, फिर भी, धारा में इस उद्देश्य का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है। संभवतः ऐसा इसलिए था क्योंकि उच्च न्यायालय की अधिकारिता और उसके आदेशों की प्रभावशीलता ने संविधान के अनुच्छेद 226 से ही अपना बल प्राप्त किया था। संसद के एक साधारण अधिनियम से इन्हें छुआ नहीं जा सका। भले ही अधिनियम की धारा 3 कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के आधार को, इसका उल्लेख किए बिना, एक कानून के रूप में प्रतीत होने वाले अधिनियम को लागू करके छीनने का प्रयास करती है, फिर भी, मुझे लगता है कि, जहां राज्य के खिलाफ नागरिक के अधिकारों का संबंध है, हमें एक ऐसी व्याख्या अपनानी चाहिए जो उन अधिकारों को बनाए रखे। इसलिए, व्याख्या के अनुसार मैं उन अधिकारों को अपनाना पसंद करता हूँ जो एक निर्णय में सन्निहित लोगों को दिए गए थे और जो उच्च न्यायालय के आदेश का आधार बन गए थे, उन्हें इस अप्रत्यक्ष तरीके से नहीं लिया जा सकता था।” 108. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इस न्यायालय के विद्वान सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि बाद के अधिनियम द्वारा, कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पक्षों के बीच अधिकारों और देनदारियों को स्पष्ट करते हुए जारी किए गए आदेश पत्र को रद्द नहीं किया जा सकता है।

डी.

ई.

च

जी.

109. कावेरी जल के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ की निम्नलिखित टिप्पणी का उल्लेख करना भी उचित होगा।

विवाद न्यायाधिकरण, पुनः (ऊपर), जो इस प्रकार है:

“76. इन प्राधिकरणों से जो सिद्धांत सामने आता है वह यह है कि विधायिका उस आधार को बदल सकती है जिसके आधार पर निर्णय दिया जाता है।

एच.

582

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

न्यायालय द्वारा और इस प्रकार सामान्य रूप से कानून में परिवर्तन किया जाता है, जो बड़े पैमाने पर व्यक्तियों और घटनाओं के एक वर्ग को प्रभावित करेगा। हालाँकि, यह एक व्यक्तिगत निर्णय को अलग नहीं कर सकता है और केवल उनके अधिकारों और देनदारियों को प्रभावित नहीं कर सकता है। विधायिका की ओर से ऐसा कार्य राज्य की न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने और अपीलीय न्यायालय या न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करने के बराबर है।”

110. उपरोक्त अवलोकन पर भरोसा करते हुए, इस मामले में यह न्यायालय

एस. आर. भागवत और अन्य बनाम मैसूर राज्य **24** ने इस प्रकार कहा:

“12. अब इस न्यायालय के कई निर्णयों से यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि पक्षों के बीच एक बाध्यकारी न्यायिक घोषणा को किसी भी विधायी शक्ति की सहायता से एक ऐसे प्रावधान को लागू करके अप्रभावी नहीं बनाया जा सकता है जो सारतः ऐसे निर्णय को निरस्त करता है और एक विधायी अधिनियम के दायरे में नहीं है जो निर्णय के आधार या आधार को विस्थापित करता है और पूर्वव्यापी प्रभाव वाले ऐसे अधिनियम द्वारा कवर किए जाने वाले पूरे विषय से संबंधित व्यक्तियों के एक वर्ग पर समान रूप से लागू होता है। हम इनमें से केवल दो निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं।

ग

डी.

XXX XXX XXX XXX XXX

15. हम शुरू में ही ध्यान दे सकते हैं कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने किसी भी ऐसे कानून को रद्द नहीं किया था जिसे विवादित प्रावधानों द्वारा पूर्वव्यापी रूप से किसी भी दोष को दूर करने के बाद फिर से लागू करने की मांग की गई थी। यह एक ऐसा मामला है जिसमें मौजूदा कानून की व्याख्या पर उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को कुछ लाभ दिए थे। उस आदेश को एक नए कानून में विवादित प्रावधानों को लागू करके रद्द करने की मांग की गई थी। हमारे विचार में यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य विधायी अभ्यास होगा।” 111. वर्तमान मामले में भी, हम यह इंगित कर सकते हैं कि कॉमन कॉज (2021) में, इस न्यायालय ने किसी भी कानून को रद्द नहीं किया था, बल्कि एक आदेश जारी किया था जो इससे पहले के पक्षों के लिए बाध्यकारी था।

ई.

च

112. के मामले में इस न्यायालय द्वारा एक समान दृष्टिकोण लिया गया है

जी.

भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम केरल राज्य और अन्य **25. 113**. हाल ही में मद्रास बार एसोसिएशन बनाम यूनियन के मामले में

भारत सरकार और अन्य **26**, इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ,

24 (1995) 6 एससीसी 16 25 (2019) 13 एससीसी 185

एच.

26 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी **463 = (2022) 12** एससीसी **455** ए

583

डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत और हमारा संघ। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

विधायी अधिनिर्णय की अनुमति के मुद्दे पर इस न्यायालय के पहले के निर्णयों पर विचार करने के बाद, इस प्रकार टिप्पणी की गई:

“50. इस देश में विधायी ओवरराइड की अनुमति इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त के साथ-साथ अन्य निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए, जिन्हें नीचे दिया गया है:

50.1. न्यायालय के निर्णयों के प्रभाव को निर्णय के आधार को हटाकर विधायी अधिनियम द्वारा रद्द किया जा सकता है। इस तरह का कानून पूर्वव्यापी हो सकता है। पूर्वव्यापी संशोधन उचित होना चाहिए और मनमाना नहीं होना चाहिए और संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

ग

[लोहिया मशीन्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, (1985) 2 एस. सी. सी. 197

:1985 एस. सी. सी. (कर) 245] 50.2। एक मान्यकारी विधान की वैधता निर्धारित करने के लिए परीक्षण यह है कि दोष को इंगित करने वाला निर्णय पारित नहीं किया गया होता, यदि न्यायालय के समक्ष अपना निर्णय देने के समय मान्यकारी कानून द्वारा लाई जाने वाली परिवर्तित स्थिति मौजूद होती। दूसरे शब्दों में, बताए गए दोष को इस तरह से ठीक किया जाना चाहिए था कि दोष को इंगित करने वाले निर्णय के आधार को हटा दिया जाए।

डी.

50.3. एक अधिनियम द्वारा परमादेश को समाप्त करना अनुज्ञेय विधायी अभ्यास होगा (देखें कि: एस. आर. भागवत बनाम मैसूर राज्य, (1995) 6 एस. सी. सी. 16:1995 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 1334])। यहां तक कि अंतरिम निर्देशों को भी विधायी वीटो द्वारा उलट नहीं किया जा सकता है (देखें कि: कावेरी जल विवाद

ई.

न्यायाधिकरण [कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, पुनः 1993 में

अनुपूरक (1) एस. सी. सी. 96 (2)] और भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम राज्य

च

केरल का [भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम केरल राज्य,

(2019) 13 एस. सी. सी. 185] 50.4. संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन और विधायिका द्वारा न्यायिक शक्ति में घुसपैठ शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत, कानून के शासन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।”

जी.

114. इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि इस न्यायालय के निर्णयों के प्रभाव को निर्णय के आधार को हटाकर विधायी अधिनियम द्वारा रद्द किया जा सकता है। यह भी माना गया है कि इस तरह का कानून पूर्वव्यापी हो सकता है। हालाँकि, यह माना गया है कि पूर्वव्यापी

एच.

584

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

संशोधन उचित होना चाहिए और मनमाना नहीं होना चाहिए और संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि बताए गए दोष को इस तरह से ठीक किया जाना चाहिए था कि दोष को इंगित करने वाले निर्णय के आधार को हटा दिया जाए। हालाँकि, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि एक अधिनियम द्वारा अनिवार्यता को रद्द करना अनुज्ञेय विधायी अभ्यास होगा। इस न्यायालय ने आगे कहा है कि संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन और विधायिका द्वारा न्यायिक शक्ति में घुसपैठ शक्तियों के पृथक्करण, कानून के शासन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के सिद्धांत का उल्लंघन है।

115. हालांकि यह विद्वान सॉलिसिटर जनरल का तर्क है कि सामान्य कारण (2021) में इस न्यायालय का निर्णय उस समय मौजूद एफ. आर. के आधार पर दिया गया था, जो अब बदल गया है और निर्णय की नींव को हटा दिया गया है, हम उक्त तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। इसके विपरीत, जैसा कि कॉमन कॉज (2021) के फैसले से देखा जा सकता है, इस अदालत ने पाया कि दो साल की अवधि से आगे प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं था। इस न्यायालय ने वास्तव में कहा कि सरकार के पास दो साल से अधिक की अवधि के लिए किसी व्यक्ति को प्रवर्तन निदेशक के रूप में नियुक्त करने की शक्ति है। इस न्यायालय ने पाया कि सीवीसी अधिनियम की धारा 25 को सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के साथ असंगत नहीं कहा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि सरकार को दो वर्ष की अवधि के बाद नियुक्ति करने की कोई शक्ति नहीं है। विवादित संशोधनों द्वारा, स्थिति स्पष्ट की गई है, जिसके लिए हमने चुनौती को अस्थिर पाया है। इस प्रकार, यह तर्क कि सामान्य कारण (2021) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय जिस आधार पर आधारित था, उसे हटा दिया गया है, तथ्यहीन है।

ग

डी.

ई.

च

116. जैसा कि ऊपर पहले ही चर्चा की जा चुकी है, इस न्यायालय ने विशेष रूप से एक आदेश जारी किया है कि दूसरे प्रतिवादी को आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। भारत संघ और प्रतिवादी संख्या 2 2020 की रिट याचिका (दीवानी) संख्या 1374 [सामान्य कारण (2021)] में इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में दोनों पक्ष थे। पक्षकारों के लिए जारी किया गया आदेश उन पर बाध्यकारी था। इसलिए, हम पाते हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश का उल्लंघन करते हुए 17 नवंबर 2021 और 17 नवंबर 2022 को आदेश जारी नहीं कर सकता था।

जी.

सामान्य कारण (2021) में दिनांक 8 सितंबर 2021 का निर्णय।

117. जहाँ तक निर्णय पर श्री राजू द्वारा रखी गई निर्भरता का संबंध है

मेसर्स किशन लाल लखमी चंद और अन्य के मामले में इस न्यायालय के ए

एच.

585

डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत और हमारा संघ। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

(ऊपर) का संबंध है, उक्त निर्णय उत्तरदाताओं के मामले में कोई सहायता नहीं करेगा। इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा:

“8. तथापि, न्यायालय द्वारा श्री साल्वे से यह पूछे जाने पर कि 1983 के अधिनियम 12 के तहत एकत्र की गई निधि को राज्य सरकार के पास बरकरार रखते हुए अधिनियम की धारा 11 को पूर्वव्यापी रूप से मान्य करते हुए कैसे बरकरार रखा जा सकता है, उन्होंने निष्पक्षता से कहा कि धारा 11 को केवल ओम प्रकाश मामले (1986) 1 एस. सी. सी. 722 में इस न्यायालय द्वारा उसमें एकत्र किए गए शुल्क को अपीलार्थियों को वापस करने के लिए जारी किए गए आदेश पत्र के प्रभाव को कम करने के लिए अधिनियमित किया गया था, लेकिन इसकी आड़ में राज्य का इरादा 30 सितंबर, 1983 से उस पूर्ववर्ती अधिनियम 12 के तहत एकत्र की गई उक्त निधि को बनाए रखने का नहीं था और न ही उसका इरादा था, जिस तारीख को उस अधिनियम की धारा 5 (1) के तहत अधिसूचना राज्य राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। उस दृष्टिकोण से धारा 11 भी मान्य है।”

ग

डी.

118. इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि राज्य सरकार के वकील ने निष्पक्षता से कहा कि धारा 11 को केवल इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश पत्र के प्रभाव को कम करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

ओम प्रकाश अग्रवाल बनाम गिरि राज किशोरी **27** का मामला शुल्क वापस करने के लिए

उसमें अपीलार्थियों को एकत्र किया गया। हालांकि, एक बयान दिया गया था कि अपनी आड़ में राज्य का अधिनियम के तहत एकत्र की गई उक्त निधि को बनाए रखने का कोई इरादा नहीं था और न ही उसका इरादा होगा, जिसे अमान्य माना गया था और पूरी निधि को अधिनियम के तहत बोर्ड के क्रेडिट में पारित कर दिया जाएगा। इस प्रकार, विद्वान वकील द्वारा दी गई रियायत के आधार पर कि राज्य का संग्रहित निधि को बनाए रखने का इरादा नहीं था और पूरी निधि बोर्ड के क्रेडिट में पारित कर दी जाएगी, इस न्यायालय ने धारा 11 में हस्तक्षेप नहीं किया, जिसका उद्देश्य अनिवार्यता के रिट को निष्क्रिय करना था। इस प्रकार, उक्त निर्णय को यह अभिनिर्धारित करने के लिए एक प्राधिकरण नहीं कहा जा सकता है कि एक विधायी अधिनियम द्वारा, इस न्यायालय द्वारा जारी एक अनिवार्य रिट को निष्क्रिय किया जा सकता है।

ई.

च

119. हालाँकि हमने माना है कि प्रतिवादी संख्या 2 को विस्तार देने वाले 17 नवंबर 2021 और 17 नवंबर 2022 के आदेश कानूनी रूप से मान्य नहीं हैं, हम एफ. ए. टी. एफ. समीक्षा के संबंध में भारत संघ द्वारा व्यक्त की गई चिंता को ध्यान में रखने के लिए इच्छुक हैं। हम आगे इस बात पर विचार करने के लिए इच्छुक हैं कि प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया में कुछ समय लगने की संभावना है। इस दृष्टि से

जी.

27 (1986) 1 एस. सी. सी. 722

एच.

[2023] 10 एस सी आर।

इस मामले में, हम पाते हैं कि व्यापक लोक हित में संक्रमण को सुचारु रूप से सुनिश्चित करने के लिए, प्रतिवादी संख्या 2 को 31 जुलाई 2023 तक पद पर बने रहने की अनुमति देना उचित होगा।

120. फैसला देने से पहले, हम विद्वान न्यायमित्र श्री के. वी. विश्वनाथन (उस समय उनके स्वामी के रूप में), विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एस. वी. राजू, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अनूप जी. चौधरी, श्री गोपाल शंकरनारायणन, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री प्रशान भूषण, श्री जे. एस. सिन्हा, श्री शारंगौड़ा और सुश्री वंशजा शुक्ला द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए अपनी गहरी प्रशंसा दर्ज करते हैं। हम श्री रवि रघुनाथ, विद्वान अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता के लिए भी अपनी सराहना दर्ज करते हैं, जिन्होंने विद्वान न्यायमित्र की कुशलता से सहायता की।

ग

121. परिणाम में, हम निम्नलिखित क्रम पारित करते हैं:

(i) केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2021 के साथ-साथ मौलिक (संशोधन) नियम, 2021 को चुनौती को खारिज कर दिया जाता है और रिट याचिकाओं को उस हद तक खारिज कर दिया जाता है।

डी.

((ii) प्रतिवादी संख्या 2-संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को एक-एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने के लिए 17 नवंबर 2021 और 17 नवंबर 2022 के विवादित आदेशों को अवैध माना जाता है। रिट याचिकाओं को उस हद तक आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है।

ई.

(iii) हालांकि, प्रत्यर्थी संख्या 2-संजय कुमार मिश्रा को 31 जुलाई, 2023 तक पद पर बने रहने की अनुमति है।

च

122. सभी लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, सहित सभी रिट याचिकाओं के साथ-साथ विविध आवेदनों का उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाएगा। सभी पक्ष अपना खर्च स्वयं वहां करेंगे।

बिभूति भूषण बोस

याचिकाओं का निपटारा किया गया।

जी.

(सहायक: राहुल राठी, एलसीआरए)

एच.